

## अध्याय 2

### 2 सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगम से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेड़, हिसार की कार्यप्रणाली

#### 2.1 हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) के 3,167.80 एम.डब्ल्यू. की कुल स्थापित क्षमता वाले तीन थर्मल पावर प्लांट हैं, यथा - पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पानीपत (पी.टी.पी.एस.), दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) और राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, खेड़, हिसार (आर.जी.टी.पी.पी.)। दो थर्मल पावर प्लांट अर्थात् डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी., जिनकी स्थापित क्षमता 1,800 एम.डब्ल्यू. है, को निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं:

#### मुख्यांश

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का परिचालन निष्पादन हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा नियत मानकों की तुलना में त्रुटिपूर्ण था। प्लांट लोड फैक्टर की अनुपलब्धि और ₹ 186.02 करोड़ के अधिक द्वितीयक ईंधन तेल के उपभोग और सहायक विद्युत-उपभोग के कारण 2010-15 के दौरान ₹ 1,508.64 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1, 2.1.7.2 और 2.1.7.3)

कंपनी ने अपूर्ण कार्यों की लागत की वसूली न करके और अदेय भुगतान करके ठेकेदार को ₹ 229.32 करोड़ का अदेय लाभ दिया।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

2010-15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. में हुए 26824:46 घंटों की 134 कटौतियों के परिणामस्वरूप ₹ 6,840.12 एम.यू.ज की उत्पादन हानि हुई तथा समयपूर्व ओवरहालिंग के परिणामतः ₹ 11.05 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.2)

आर.जी.टी.पी.पी. में अभियांत्रिकी, खरीद तथा निर्माण (ई.पी.सी.) ठेकेदार को अदेय लाभ दिया गया क्योंकि लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से पहले ही इकाइयों को अस्थाई रूप से अधिकार में ले लिया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.8.4)

कंपनी ने लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं पर ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जी.सी.वी.) में विविधता के कारण कोयले की खरीद पर ₹ 567.13 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.1)

कंपनी ने श्रेणी में गिरावट, स्टोन दावे, अंडर लोडिंग दावे और कम उठान पर जुर्माने के तौर पर ₹ 48.49 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(अनुच्छेद 2.1.9.2, 2.1.9.3, 2.1.9.4 तथा 2.1.9.8)

#### 2.1.1 प्रस्तावना

कंपनी जो मार्च 1997 में निगमित हुई थी, हरियाणा में विद्युत की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए विद्युत उत्पादन प्लांट्स का परियोजन, संचालन और परिचालन करती है। 300 - 300 एम.डब्ल्यू. के दो डी.सी.आर.टी.पी.पी. थर्मल इकाइयां 2008 - 09 में चालू की गई थीं और 600 - 600 एम.डब्ल्यू. की आर.जी.टी.पी.पी. की दो इकाइयां 2010 - 11 में चालू की गई थीं। कंपनी ने डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. का निर्माण कार्य रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, अब रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.इन्फ्रा.) से ई.पी.सी. आधार पर करवाया। दोनों मामलों में, मूल उपकरण उत्पादक (ओ.ई.एम.) शंघाई इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन (एस.ई.सी.), चीन था।

#### 2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

कंपनी का प्रबंधन एक निदेशक मंडल में (बी.ओ.डी.जे.) निहित है, जिसमें 31 मार्च 2015 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एम.डी.), तीन पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यू.टी.डी.जे.) और दो अंशकालिक निदेशक थे। दैनिक परिचालन करने के लिए एम.डी. की सहायता तीन डब्ल्यू.टी.डी.जे और मुख्य अभियंताओं द्वारा की जाती है।

#### 2.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करने थे कि:

- उत्पादन इकाइयों की स्थापित क्षमता का सर्वोत्कृष्ट उपयोग किया जा रहा था और उत्पादन की लागत वसूल की जा रही थी;
- ई.पी.सी. ठेकेदार के संविदात्मक दायित्व पर्याप्त थे और संतोषजनक रूप से पूरे किए जा रहे थे;
- सामान सूचियों का प्राप्त और ईंधन का परिवहन मितव्ययता, दक्षता और प्रभावी रूप से किया जा रहा था;
- पर्यावरण संरक्षण के उपाय प्रभावी ढंग से किए जा रहे थे; तथा
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्लांट के आकार और गतिविधियों के अनुपातिक रूप में थी।

#### 2.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और पद्धति

लेखापरीक्षा जनवरी से जून 2015 के बीच की गई थी और इसमें 2010 - 11 से 2014 - 15 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया गया। डी.सी.आर.टी.पी.पी. के निर्माण और परिचालन की गतिविधियां वर्ष 2008 - 09 के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की आडिट रिपोर्ट (वाणिज्य), हरियाणा सरकार में सूचित की गई थीं। लोक उपक्रम समिति (कोपू) हरियाणा की 59वीं रिपोर्ट

में निहित सिफारिशों राज्य विधान सभा को 11 मार्च 2013 को प्रस्तुत की गई थी। अपनी सिफारिशों पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर कोपू के निर्णय अभी प्रतीक्षित थे (नवंबर 2015)। एच.पी.जी.सी.एल. की विद्युत उत्पादन गतिविधियों (राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की निर्माण गतिविधियों सहित) की समीक्षा की गई थी और 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए सी.ए.जी. की आडिट रिपोर्ट नं. 4 - हरियाणा सरकार में सूचित की गई। इस रिपोर्ट पर चर्चा कोपू, हरियाणा में की गई और इसकी सिफारिशें 60वीं रिपोर्ट में शामिल कर राज्य विधान सभा को प्रस्तुत (4 मार्च 2014) की गई। वित्तीय मामलों पर कोपू की सिफारिश पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित थी (नवंबर 2015)।

हमने एक एंट्री काफ्रेंस (फरवरी 2015) के दौरान लेखापरीक्षा उद्देश्यों का ब्यौरा कंपनी को दिया। लेखापरीक्षा के परिणाम राज्य सरकार तथा प्रबंधन को सूचित किए गए (अगस्त 2015) थे। सरकार तथा प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हुए (अक्टूबर/नवंबर 2015) और इन पर एमिजट काफ्रेंस (अक्टूबर 2015) जिसमें अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग और कंपनी के प्रबंध निदेशक उपस्थित थे, चर्चा की गई। इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम करते समय सरकार तथा प्रबंधन के विचारों को ध्यान में रखा गया है।

### 2.1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा परिणामों का मूल्यांकन लेखापरीक्षा मानदंडों के विरुद्ध किया गया जिनके स्रोत निम्न थे:

- हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा जारी परिचालन निष्पादन के लिए मार्गनिर्देश/मानक;
- ई.पी.सी. संविदा के निबंधन एवं शर्तें;
- कोयला कंपनियों, रेलवेज, परिवहन एजेंसी तथा अन्य ठेकेदार/एजेंटों के साथ किए गए अनुबंधों की अनुपालना; तथा
- ऊर्जा लेखापरीक्षा से संबंधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान।

### लेखापरीक्षा परिणाम

#### 2.1.6 कार्यचालन परिणाम

मार्च 2015 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान दोनों पावर प्लांट्स के कार्यचालन परिणाम परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं। अवधि के दौरान उत्पादन की लागत, राजस्व और प्रति इकाई किए गए लाभ/हानि नीचे दिए गए हैं:

(राशि ₹ में प्रति के.डब्ल्यू.एच.)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	डी.सी.आर. टी.पी.	आर.जी. टी.पी.								
1. प्रति इकाई लागत (₹ में)	3.38	2.10	3.89	4.33	8.20	4.83	4.43	4.96	4.34	4.89
2. प्रति इकाई राजस्व (₹ में)	3.29	1.72	3.64	3.50	4.06	4.24	4.36	5.02	4.32	4.90
3. प्रति इकाई लाभ/हानि (₹ में)	(-)0.09	(-)0.38	(-)0.25	(-)0.83	(-)4.14	(-)0.59	(-)0.07	0.06	(-)0.02	0.01

ऊपरी तालिका और परिशिष्ट 3 से यह देखा जा सकता है कि 2010-11 से 2014-15 के

दौरान किसी भी वर्ष के लिए न तो डी.सी.आर.टी.पी.पी. और न ही आर.जी.टी.पी.पी. अपने उत्पादन की लागत की वसूली कर सके (2013 - 14 और 2014 - 15 तक के दौरान आर.जी.टी.पी.पी. को छोड़कर) और इन्होंने क्रमशः ₹ 490.54 करोड़ और ₹ 794.50 करोड़ का घाटा बहन किया।

### 2.1.7 परिचालन निष्पादन

मार्च 2015 को समाप्त पांच वर्षों के लिए डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी.का परिचालन निष्पादन **परिशिष्ट 4** में दिया गया है। विभिन्न परिचालन मापदंडों पर मूल्यांकित प्लांट्स के परिचालन निष्पादन की चर्चा नीचे की गई है:

#### 2.1.7.1 प्लांट लोड फैक्टर

प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) प्लांट की उत्पादक क्षमता में वास्तविक उत्पादन की प्रतिशतता प्रस्तुत करता है। पी.एल.एफ. हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) द्वारा उत्पादन को प्रभावित करने वाले सभी घटकों को ध्यान में रखकर नियत की जाती है। नियत लागत<sup>1</sup> की वसूली संबंधित प्लांट्स के लिए अनुमोदित पी.एल.एफ. के मानकों से संबंधित होती है अर्थात् कुल नियत लागत एच.ई.आर.सी. द्वारा अनुमोदित पी.एल.एफ. पर वसूल की जाती है और कम पी.एल.एफ. के मामले में नियत लागत प्रो-रैटा आधार पर वसूल की जाएगी। 2010 - 15 के दौरान, एच.ई.आर.सी. द्वारा दोनों इकाइयों के लिए नियत बनाम वास्तव में प्राप्त पी.एल.एफ. निम्नानुसार था:

वर्ष	डी.सी.आर.टी.पी.			आर.जी.टी.पी		
	एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत पी.एल.एफ.	वास्तविक पी.एल.एफ. <sup>2</sup>		एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत पी.एल.एफ.	वास्तविक पी.एल.एफ.	
		इकाई I और II	इकाई I	इकाई II	इकाई I और II	इकाई I
2010-11	80	87.6	66.04	80	40.91	6.00
2011-12	85	93.36	32.18	85	56.32	51.49
2012-13	85	14.11	30.13	85	40.33	63.99
2013-14	85	95.49	59.57	70	78.23	43.10
2014-15	85	85.53	70.51	85	90.55	62.13

डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. द्वारा पी.एल. एफ की प्राप्ति न करने के कारण विद्युत के 16,465.743 एम.यू.ज की अनुमानित उत्पादन हानि हुई। 2010 - 15 के दौरान ₹ 1,508.54 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई। पावर प्लांट्स में जल्दी ओवरहॉलिंग, बॉयलर ट्यूब लीकेजीज की पुनरावृत्ति और अन्य मशीनी समस्याएं थी जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों 2.1.8.2 और 2.1.8.5 में चर्चा की गई है।

पुनः, सस्ती विद्युत के उपलब्ध होने पर, वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) ने कंपनी को बैकिंग डाउन अनुदेश जारी किए और प्लांट्स आशिक लोड पर चल रहे थे। परिणामस्वरूप, कंपनी ने 2010 - 15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. पर क्रमशः 1,613,40 एम.यू.ज और 4,992.10 एम.यू.ज के विद्युत उत्पादन का अवसर खो दिया। कंपनी ने एनर्जी एक्सचेंज के माध्यम से खुले बाजार में विद्युत बेचने की संभावना की खोज प्रभावी रूप से नहीं की थी।

<sup>1</sup> स्थाई लागत में साम्या पर रिटर्न, ऋण पूँजी पर ब्याज तथा वित्त, कार्यचालन पूँजी परिचालन और रख - रखाव व्यय तथा मूल्यहास पर ब्याज शामिल है।

<sup>2</sup> डिस्कोम्ज के बैकिंग डाउन अनुदेशों के दौरान मानकीय उत्पादन शामिल है।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि बार-बार बंद होने तथा प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण, पी.एल.एफ. की प्राप्ति नहीं हो सकी। पुनः यह बताया गया कि डिस्कोम्ज से अग्रिम समय - सारणी तथा क्लीयरेंस की अनुपलब्धि के कारण, अतिरिक्त विद्युत का थर्ड पार्टी विक्रय एक प्रधान चुनौती था। अग्रिम समय - सारणी की अनुपलब्धता का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को अतिरिक्त विद्युत के विक्रय की योजना हेतु डिस्कोम्ज द्वारा अग्रिम समय - सारणी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयत्न जारी रखना था। यह इस तथ्य से भी प्रमाणित होता है कि 7 मार्च 2014 को भारतीय एनर्जी एक्सचेंज का ग्राहक सदस्य बनने के बाद कंपनी, 2014-15 और 2015-16 (अगस्त 2015 तक) के दौरान 26.68 एम.यू.ज की अतिरिक्त विद्युत बेचकर ₹ 10.55 करोड़ का राजस्व कमाने में समर्थ हुई।

### **2.1.7.2 सहायक विद्युत का अधिक उपभोग**

सहायक विद्युत उपभोग इकाइयों द्वारा उपकरण तथा सामान्य सेवाओं को चलाने के लिए स्वयं उपभोग की गई विद्युत है। 2010-15 के दौरान एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानक की सीमा डी.सी.आर.टी.पी.पी. के मामले में 8.5 से 9 प्रतिशत तथा आर.जी.टी.पी.पी. के मामले में 6 से 7.5 प्रतिशत है। प्लांट - वार उपभोग की गई सहायक विद्युत की चर्चा नीचे की गई है:

#### **डी.सी.आर.टी.पी.पी.**

डी.सी.आर.टी.पी.पी. के इकाई-I और इकाई-II का सहायक विद्युत उपभोग क्रमशः 8.70 से 13.07 प्रतिशत तथा 8.97 से 11.04 प्रतिशत की सीमा में रहा। अधिक सहायक विद्युत उपभोग का कारण इकाइयों का बार-बार बंद होना तथा उनका पूर्ण/आंशिक बैकिंग डाउन था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग के कारण कंपनी, एच.ई.आर.सी. मानकों के अनुसार, ₹ 44.59 करोड़ मूल्य के 100.30 एम.यू.ज बेचने में असमर्थ रही।

#### **आर.जी.टी.पी.पी.**

आर.जी.डी.पी.पी. के इकाई-I और इकाई-II का सहायक विद्युत उपभोग 2010 से 2015 के दौरान क्रमशः 5.67 से 8.59 तथा 5.77 से 18.36 प्रतिशत की सीमा में रहा। 2010-12 के दौरान दोनों इकाइयों के संबंध में सहायक विद्युत उपभोग एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानकों से अधिक था जबकि इकाई-II में उपभोग 2013-14 के दौरान और इकाई-I में 2014-15 के दौरान अधिक था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग का कारण इकाइयों का बार-बार बंद होना और उनका पूर्ण/आंशिक बैकिंग डाउन था। अधिक सहायक विद्युत उपभोग के कारण कंपनी, एच.ई.आर.सी. मानकों के अनुसार, ₹ 16.42 करोड़ मूल्य के 40.85 एम.यू.ज बेचने में असमर्थ रही।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर/नवंबर 2015) कि सहायक विद्युत का अधिक उपभोग कोयले की खराब गुणवत्ता तथा बार-बार इकाइयों में कटौती के कारण था और संभव सीमा तक सहायक उपभोग को कम करने के प्रयास किए जा रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कोयले की गुणवत्ता तथा बार-बार कटौती को मानकों के भीतर रखा जाना अपेक्षित था।

### **2.1.7.3 द्वितीयक ईंधन तेल का अधिक उपभोग**

दोनों प्लांट्स में डीजल और फरनैस तेल द्वितीयक ईंधन तेल के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। ईंधन तेल का उपभोग अनिवार्य कटौती के साथ-साथ बैकिंग डाउन (रिजर्व शट-डाउनज) के

कारण होने वाले ट्रिपिंग पर निर्भर करता है। ईंधन औयल के उपभोग के लिए एच.ई.आर.सी. के मानक 2010 - 15 के दौरान उत्पादित विद्युत का 1 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. था।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में वास्तविक द्वितीयक ईंधन औयल का उपभोग 2010 - 15 के दौरान इकाई - I में 0.51 से 3.06 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. और इकाई - II में 1.05 से 6.15 एम.एल. प्रति के.डब्ल्यू.एच. की सीमा में रहा जबकि आर.जी.टी.पी.पी. में, यह इकाई - I के लिए 0.28 से 10.51 एम.एल. प्रति के डब्ल्यू.एच. की सीमा में तथा इकाई - II के लिए 0.56 से 23.57 एम.एल. प्रति के डब्ल्यू.एच. के बीच रहा। अतः दोनों प्लांट्स में मानकों की तुलना में तेल का उपभोग अधिक रहा। आडिट ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. में क्रमशः ₹ 38.14 करोड़ मूल्य के 11,827.22 के.एल. तेल और ₹ 86.87 करोड़ मूल्य के 23,513.27 के.एल. तेल का अधिक उपभोग अवलोकित किया।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि द्वितीयक ईंधन तेल का अधिक उपभोग प्रारंभिक समस्याओं, बार-बार ट्यूब लीकेज व बार-बार स्टार्ट-अप, परीक्षण और स्थाईकरण के कारण था।

#### 2.1.7.4 ऊर्जा लेखापरीक्षा

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 नियमित आधार पर ऊर्जा लेखापरीक्षा का प्रावधान, उत्पादन स्टेशनों की दक्षता सुधारने तथा इनपुट लागत नियंत्रित करने के लिए करता है। ऊर्जा लेखापरीक्षा डी.सी.आर.टी.पी.पी. में 2013 - 14 में की गई थी, जिसने ₹ 17.78 करोड़ की अनुमानित वार्षिक वित्तीय बचतों तथा इनके उपायों की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को अभी क्रियान्वित किया जाना था (सितंबर 2015)। आर.जी.टी.पी.पी. में प्लांट की स्थापना से ही लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी। अतः आर.जी.टी.पी.पी. में ऊर्जा लेखापरीक्षा न करना तथा डी.सी.आर.टी.पी.पी. के लिए की गई सिफारिशों का कार्यान्वयन न किया जाना, एच.ई.आर.सी. के इनपुट लागत लक्ष्यों की अनुपलब्धि के कारणों में से एक था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि दोनों प्लांट्स का अंतिम अधिकरण क्रमशः मई 2013 और जुलाई 2015 में किया गया था तथा इसीलिए ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं की गई। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्लांट्स का अधिकरण अस्थाई रूप से कर लिया गया था तथा कंपनी उत्पादन पर रख्च कर रही थी, इसलिए ऊर्जा लेखापरीक्षा करवाई जानी अपेक्षित थी।

#### 2.1.8 संविदात्मक दायित्व

दोनों प्लांट्स के संबंध में ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों की अनुपालना की चर्चा नीचे की गई है:

डी.सी.आर.टी.पी.पी.

कंपनी ने प्रत्येक 300 एम.डब्ल्यू. के दो इकाइयों के निर्माण के लिए ₹ 2,097 करोड़ के स्थिर मूल्य पर (मशीनरी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए ₹ 1,572 करोड़ और सिविल निर्माण कार्यों और प्रस्थापन, परीक्षण और चालू करने के लिए ₹ 525 करोड़) टर्नकी आधार पर ठेका आर.ई.एल. (ई.पी.सी. ठेकेदार) को दिया (मार्च 2004)। दोनों इकाइयों को चालू करने संबंधी प्रमुख मील पत्थर निम्नानुसार थे:

मीलपत्थर	इकाई I	इकाई II
अस्थाई अधिकरण (पी.टी.ओ.) की अनुसूचित तारीख	19 नवंबर 2007	19 फरवरी 2008
पी.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	31 अगस्त 2009	31 अगस्त 2009
एफ.टी.ओ. की तारीख	01 मई 2013	01 मई 2013
उपकरण परफार्मेंस गारंटी	इकाइयों को एफ.टी.ओ. की तारीख से बारह मास की अवधि तक के लिए समस्या मुक्त परफार्मेंस की गारंटी दी गई थी।	

### 2.1.8.1 अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत की कटौती न करना तथा अदेय भुगतानों की निर्मुक्ति

सरिदा की शर्तों के अनुसार, इकाइयों का एफ.टी.ओ., सभी लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने पर ही किया जाना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने एफ.टी.ओ. प्रभावी करने का निर्णय लिया (15 मार्च 2013) और ₹ 155.78 करोड़ मूल्य के लंबित निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने के बावजूद अनिवार्य स्पेयर्ज (₹ 6.40 करोड़) की अनापूर्ति तथा क्रमशः इकाई-I एवं इकाई-II के टर्बाइन की मरम्मत पर राशि (₹ 6.86 करोड़) खर्च करने तथा निर्माण कार्यों को आर.ई.एल. की लागत व जोखिम पर संपन्न करने (₹ 0.44 करोड़) के आधार पर कटौती करने के बाद आर.ई.एल. को ₹ 73.54 करोड़ निर्मुक्त कर दिए।

यह अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत का कटौती न करना तथा एफ.टी.ओ. पर ₹ 73.54 करोड़ के भुगतान की निर्मुक्ति, आर.ई.एल. को अनुचित लाभ था और यह कंपनी के ₹ 229.32 करोड़ तक के वित्तीय हितों के साथ जोखिम था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि उपर्युक्त राशि आर्बिट्रेशन केस में दर्ज (अगस्त 2014) ‘प्रति-दावों’ में शामिल की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रबंधन एफ.टी.ओ. के समय उपर्युक्त लंबित मदों/निर्माण कार्यों से अवगत थी और इस प्रकार ऐसी राशि, ठेकेदार को अदा करने की बजाय उससे वसूलनीय थी।

### 2.1.8.2 डी.सी.आर.टी.पी.पी. में प्रतिस्थापित बायलर टर्बाइन और जैनरेटर का परफार्मेंस

एस.ई.सी. चीन (ओ.ई.एम.) द्वारा उत्पादित प्लांट की आपूर्ति पहली बार भारत में डी.सी.आर.टी.पी.पी. को ही की गई थी (2004)।

नीचे दिए विवरण अनुसार प्लांट में बार-बार अनिवार्य कटौतियां होती रही:

वर्ष	इकाई I		इकाई II	
	ट्रिपिंग की संख्या	कटौती की अवधि (घंटे: मिनट)	ट्रिपिंग की संख्या	कटौती की अवधि (घंटे: मिनट)
2010-11	19	418:14	35	520:55
2011-12	14	484:19	17	5414:14
2012-13	5	7913:21	8	6181:20
2013-14	7	1044:41	10	3653:49
2014-15	8	312:46	11	881:07
<b>कुल</b>	<b>53</b>	<b>10173:21</b>	<b>81</b>	<b>16651:25</b>

जैसा कि ऊपर तालिका से देखा जा सकता है प्लाट ने 2010-15 के दौरान 26824.46 घटे की 134 अनिवार्य कटौतियां वहन की जिसके परिणामस्वरूप 6,840.12 एम.यूज की उत्पादन हानि हुई।

इकाई-I और II के मुख्य दीर्घ कटौतियों तथा उनके कंपनी पर प्रभाव की चर्चा नीचे की गई है:

**(i) इकाई-I की दीर्घ कटौतियां और ओवरहॉलिंग पर अतिरिक्त व्यय**

31 मार्च 2012 को एल.पी. रोटर की क्षति के कारण डी.सी.आर.टी.पी.पी. के इकाई-I का अनिवार्य शटडाउन हुआ। ई.पी.सी. ठेकेदार ने मरम्मत कार्य करने से इनकार कर दिया और मामला सीधा ओ.ई.एम. के साथ उठाने का सुझाव दिया। चूंकि इकाई-II भी अनिवार्य शटडाउन के अधीन था, ओ.ई.एम. ने (25 मई 2012) दोनों इकाइयों के टर्बाइन और जेनरेटर की पूर्ण ओवरहॉलिंग करवाने का सुझाव दिया और इकाई-I के एल.पी. रोटर की मरम्मत तथा दोनों इकाइयों की ओवरहॉलिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया बशर्ते कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग के प्रभार न ई.पी.सी. और न ही ओ.ई.एम. से वसूल किए जाएंगे। कंपनी को एल.पी. रोटर को शंघाई भेजकर उसकी मरम्मत तथा इकाई की ओवरहॉलिंग अपनी लागत पर करवानी पड़ी (जून 2012)। कंपनी को ₹ 9.25 करोड़ (₹ 2.90 करोड़ का भुगतान ओ.ई.एम. को इकाई-I की ओवरहॉलिंग के लिए ₹ 0.27 करोड़ संबंधित कार्यों तथा ₹ 6.08 करोड़ स्पेयर्स के लिए) का व्यय वहन करना पड़ा। तथापि, कंपनी ने न तो ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा दी गई परफार्मेंस गारंटी का नकदीकरण किया और न ही क्षतिग्रस्त एल.पी. रोटर की मरम्मत करवाने के लिए ई.पी.सी. काट्रैक्टर के इनकार करने पर आरबीट्रेशन में गई। इसके अतिरिक्त, कंपनी को 2012-13 के दौरान 1,900.52 एम.यूज की उत्पादन हानि और परिणामतः ₹ 191.95 करोड़ की स्थाई लागत<sup>3</sup> की अवसूली वहन करनी पड़ी।

पुनः रोटर की मरम्मत के साथ-साथ नए रोटेटिंग ब्लेडज खरीदने की संभावना देखे बिना ही, रोटेटिंग ब्लेडज जो डी.सी.आर.टी.पी.पी. के पास पड़े हुए थे, वे भी एल.पी. रोटर में फिटिंग के लिए एस.ई.सी., शंघाई को भेज दिए गए। चूंकि इन ब्लेडज को अनिवार्य स्पेयर्ज के रूप में रखा जाना था, कंपनी को एस.ई.सी. शंघाई को नए ब्लेडज की खरीद के लिए ₹ 7.58 करोड़ का नया आदेश देना पड़ा (मार्च 2015) और यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (दिसंबर 2015)। इस प्रकार, यदि कंपनी एल.पी. रोटर के मरम्मत कार्य के साथ ही एल.पी. रोटर में नए ब्लेडज की आपूर्ति और फिटिंग के लिए आदेश दे देती तो पुराने ब्लेडज के लिए ₹ 1.80 करोड़ तक के परिवहन प्रभार बचाए जा सकते थे।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि एस.ई.सी. ने इस शर्त पर कि लागत ई.पी.सी. ठेकेदार या ओ.ई.एम. से प्रभारित नहीं की जाएगी, इकाई की मरम्मत के लिए सहमति दी थी। ये स्पेयर्स एस.ई.सी. को इसलिए भेजे गए थे ताकि विलंब न हो। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने मरम्मत का कार्य लेने के लिए ई.पी.सी. ठेकेदार के इनकार के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की थी और साथ ही नए ब्लेडज खरीदने के लिए संभावना की खोज नहीं की थी।

<sup>3</sup>

एच.ई.आर.सी. द्वारा संबंधित वर्षों के टैरिक आदेश में अनुमत, प्रति इकाई स्थाई लागत।

**(ii) इकाई-II के हाई इंटरमीडिएट प्रेशर रोटर की क्षति और ओवरहॉलिंग के कारण अनिवार्य शटडाउन**

इकाई-II, 25 सितंबर 2011 को ट्रिप हो गया तथा हाई इंटरमीडिएट प्रेशर (एच.आई.पी.) रोटर की क्षति के कारण बंद करना पड़ा। चूंकि ओ.ई.एम. ने मरम्मत किए रोटर के लिए कोई गारंटी/गारंटी के बिना ही ₹ 13 करोड़ पर खराब रोटर की मरम्मत करने का प्रस्ताव दिया था (21 दिसंबर 2011), कंपनी ने आर.ई.एल. के जोखिम और लागत पर रोटर की मरम्मत करवाली। जब इकाई-II का एच.आई.पी. रोटर मरम्मत अधीन था, इकाई-I भी ट्रिप हो गया तथा ओ.ई.एम. की सिफारिश पर, कंपनी ने इकाई-II की ओवरहॉलिंग अपनी लागत पर की। इसी प्रकार की पूर्व शर्त के कारण कि मरम्मत और ओवरहॉलिंग के प्रभार ई.पी.सी. या ओ.ई.एम. से वसूली नहीं जाएंगी, कंपनी इकाई-II की ओवरहॉलिंग पर खर्च किए ₹ 2.32 करोड़ की ई.पी.सी. कंट्रैक्टर से वसूल नहीं कर सकी जबकि उपकरण परफार्मेंस गारंटी के अधीन थे। कंपनी ने निरंतर 10,295 घंटों की कटौती के कारण 2,625.23 एम.यूज की उत्पादन-हानि और ₹ 293.16 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली की हानि उठाई।

सरकार और प्रबंधन के अपने उत्तर में बताया कि एस.ई.सी. ने इस पूर्व शर्त पर रोटर की मरम्मत के लिए सहमति दी थी कि लागत को ई.पी.सी. ठेकेदार या ओ.ई.एम. को प्रभारित नहीं किया जाएगा और स्थाई लागत की वसूली आबिट्रेटर को भेजे गए मामले का हिस्सा भी है। तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने ई.पी.सी. ठेकेदार के विरुद्ध मरम्मत से इनकार के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

**(iii) ओ.ई.एम. से पुनरुत्थान की आवश्यकता वाली इकाई-II की अनिवार्य कटौती**

ओवरहॉलिंग के बाद भी इकाई-II में निरंतर समस्याएं बनी रही और यह दिसंबर 2012 तथा मई 2013 के मध्य 1,006 घंटों के लिए अनिवार्य शटडाउन के अधीन थी। इकाई का 3 जून 2013 को फिर से 2,156 घंटों के लिए 4 सितंबर 2013 तक अनिवार्य शटडाउन हुआ।

कंपनी ने ओ.ई.एम. को इकाई-II के पुनरुत्थान के लिए कार्य आदेश दिया (21 जून 2013) और ₹ 2.31 करोड़ का व्यय किया। कंपनी ने इस राशि की वसूली ई.पी.सी. ठेकेदार से नहीं की जबकि आपूर्ति उपकरण 30 अप्रैल 2014 तक परफार्मेंस गारंटी में था। इकाई, 2,156 घंटों के लिए अनिवार्य शटडाउन अधीन रहा और 646.96 एम.यूज के उत्पादन की हानि के साथ ₹ 74.40 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि इकाई के पुनरुत्थान की आवश्यकता विभिन्न परिचालन चूंकों के कारण थी और संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इकाइयां परफार्मेंस गारंटी अवधि जो अप्रैल 2014 तक वैध थी, के दौरान भी बार-बार अनिवार्य शट-डाउन के अधीन थी।

**आर.जी.टी.पी.पी.**

कंपनी ने टर्नकी आधार पर प्रत्येक 600 एम.डब्ल्यू. की दो इकाइयों के निर्माण के लिए ठेका आर. इन्फ्रा को ₹ 3,775.43 करोड़ (आफशोर ठेके के लिए ₹ 1,431.01 करोड़, आनशोर ठेके

के लिए ₹ 1,593.42 करोड़ और सेवा ठेके के लिए ₹ 751 करोड़) के स्थाई मूल्य पर दे दिया। इकाइयों को चालू करने संबंधी प्रमुख मीलपत्थर निम्नानुसार थे:

मीलपत्थर गतिविधि	इकाई I	इकाई II
अस्थाई अधिकरण की नियत तारीख (पी.टी.ओ.)	28 दिसंबर 2009	28 मार्च 2010
वास्तविक वाणिज्यिक परिचालन की तारीख (सी.ओ.डी) <sup>4</sup>	24 अगस्त 2010	01 मार्च 2011
पी.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	10 फरवरी 2014	20 सितंबर 2014
एफ.टी.ओ. की वास्तविक तारीख	15 जुलाई 2015	15 जुलाई 2015

यह देखा गया कि सी.ओ.डी. की घोषणा से एफ.टी.ओ. प्रभावी करने तक की अवधि के दौरान आर. इन्फ्रा को अनुचित लाभ दिया गया जैसा कि नीचे चर्चित है:

#### 2.1.8.3 अनियमित शट-डाउन के कारण उत्पादन हानि

इकाई-I और इकाई-II के क्रमशः 24 अगस्त 2010 और 1 मार्च 2011 को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने के बावजूद, इकाई बार-बार ट्रिप कर रहे थे। आर. इन्फ्रा की ओर से अपूर्ण निर्माण कार्य के परिणामस्वरूप इकोनोमाईजर ट्यूब लीकेज, बॉयलर ट्यूब लीकेज और टरबाईन कंपन की वजह से 2010-11 के दौरान 38 ट्रिपिंग (इकाई-I) और 29 ट्रिपिंग (इकाई-II) थी और 2011-12 के दौरान 48 ट्रिपिंग (इकाई-I) और 22 ट्रिपिंग (इकाई-II) थी। लंबित निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के लिए ई.पी.सी. संविदात्मक प्रावधानों से इतर आर. इन्फ्रा को 8,305 घंटों के शट-डाउन उपलब्ध करवाए गए, जिस कारण 207.63 एम.यू.ज की उत्पादन हानि हुई और परिणामतः ₹ 256 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये शट-डाउन उपलब्ध करवाने के बावजूद इकाई-I और इकाई-II ने 2012 से 2015 के दौरान क्रमशः कुल 9,145 घंटों (इकाई-I) और 11,641 घंटों (इकाई-II) तक की 61 और 52 ट्रिपिंग वहन की।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण इकाइयां वाणिज्यिक परिचालन के लिए बाध्य हुई और संविदा के अनुसार आर. इन्फ्रा से कटौती योग्य अधिकतम 10 प्रतिशत लिक्विडेटिड डैमेजिज (एल.डी.) की वसूली की जा चुकी है। परंतु तथ्य रह जाता है कि अपूर्ण निर्माण कार्यों के कारण कंपनी को परिहार्य स्थाई लागत वहन करनी पड़ी।

#### 2.1.8.4 सभी लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण हुए बिना पी.टी.ओ. प्रभावी करना

ई.पी.सी. संविदा के खंड 35 के अनुसार, प्लांट का पी.टी.ओ. इकाई के ट्रायल आपरेशन<sup>5</sup> के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, मालिक द्वारा अनुमोदित सभी लंबित निर्माण कार्यों की पूर्णता और अंतिम परिचालन एवं रख - रखाव भैनुअल उपलब्ध करवाने पर ही प्रभावी किया जाना था।

यह देखा गया कि वाणिज्यिक परिचालन के बाद, इकाई का निष्पादन संतोषप्रद नहीं था। ई.पी.सी. ठेकेदार ने राख व्यवस्था प्रणाली, मिल अस्वीकार प्रणाली, अपरिष्कृत जल का जलाशय, सघन पॉलिशिंग इकाई, निस्सारी ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य संबंधित कार्यों जैसे सभी लंबित कार्य पूर्ण नहीं किए थे। इन कार्यों की पूर्णता लंबित होने पर भी कंपनी ने 16 प्रधान वरीयता निर्माण कार्य तुरंत प्रारंभ करने के लिए आर. इन्फ्रा से अधिकरण लेकर, केवल दो निर्माण कार्यों की

<sup>4</sup> वाणिज्यिक कार्यचालन की तारीख वह तारीख है जिस तारीख से प्लांट को ग्रिड के साथ समायोजित किया गया है तथा डिस्कोम्ज को नियत वेद्युत बेचनी शुरू की गई है।

<sup>5</sup> ट्रायल आपरेशन, संविदा के अनुसार 14 दिनों के लिए प्लांट का निरंतर परिचालन है।

पूर्णता पर ही पी.टी.ओ. प्रभावी करने का निर्णय लिया (फरवरी 2014)। इकाई-I का पी.टी.ओ. वाणिज्यिक परिचालन की तारीख से 41 मास व्यतीत होने के बाद 10 फरवरी 2014 को प्रभावी किया गया।

इसी प्रकार, इकाई-II में एच.आई.पी. टरबाइन बेयरिंग में उच्च कंपन की समस्या के विलंबित समाधान और लंबित कार्यों के पूर्ण होने में देरी के कारण इकाई का पी.टी.ओ. ट्रायल आपरेशन के पूर्ण होने की तारीख से 42 मास व्यतीत होने के बाद 20 सितंबर 2014 को प्रभावी किया गया। दोनों इकाइयों का एफ.टी.ओ. लंबित निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के बाद 15 जुलाई 2015 को प्रभावी किया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि पी.टी.ओ., राजस्व कमाकर ब्याज का भार हल्का करने के लिए किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी ने पी.टी.ओ. लंबित कार्य की पूर्णता सुनिश्चित किए बिना अनुमत कर दिया और ठेकेदार का पक्ष लिया।

#### **2.1.8.5 रोटर में कमी के कारण इकाई-II का अनिवार्य शटडाउन**

इकाई-II में 7 मार्च 2011 से 17 अगस्त 2013 के दौरान बार-बार ट्रिपिंग के कारण, 12 अक्टूबर 2013 को इसका शटडाउन बाध्य हो गया। पी.टी.ओ. के लंबित होते, आर. इन्फ्रा अपेक्षित मरम्मत करने के लिए बाध्य थी। तथापि, आर. इन्फ्रा/एस.ई.सी. ने कार्य 6 जनवरी 2014 को करीब तीन मास की देरी के बाद शुरू किया। मरम्मत करते समय यह पाया गया कि टर्बाइन का एच.आई.पी. रोटर मुड़ा हुआ था और केवल ओ.ई.एम. वर्क्स शंघाई में मरम्मत किया जा सकता था। अत्यधिक विद्युत मांग के चलते, कंपनी ने समुद्र की बजाय, हवाई मार्ग से ₹ 10.65 करोड़ की लागत पर इसे परिवहन करके रोटर की मरम्मत करवाने का निर्णय लिया (28 जनवरी 2014)। कंपनी को ₹ 8.34 करोड़ मूल्य के समुद्री और हवाई किराए का अंतर वहन करना पड़ा।

पुनः, कंपनी द्वारा आर. इन्फ्रा के साथ मामले के समाधान हेतु लिए गए 108 दिनों (दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 28 जनवरी 2014) के अत्यधिक समय के कारण 78 दिनों (मामले के समाधान के लिए 30 दिनों का समय देने के बाद) के दौरान 1,123.2 एम.यूज के उत्पादन की हानि और ₹ 126.70 करोड़ की स्थाई लागत की अवसूली हुई।

सरकार तथा प्रबंधन ने बताया कि देरी अपेक्षित अनुमोदनों में हुई अपरिहार्य प्रक्रियात्मक विलंबों के साथ-साथ ठेकेदार के प्रभार्य आधार पर मरम्मत करने की जिद के कारण थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रक्रियात्मक विलंबों के कारण मरम्मत में देरी हुई थी तथा साथ ही कंपनी को अतिरिक्त व्यय करना पड़ा था।

#### **2.1.9 खरीद, परिवहन और ईंधन का उपभोग**

प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को कोल लिंकेज (कोयले की आपूर्ति का स्रोत और प्रमात्रा) ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) की स्टैंडिंग लिंकेज समिति (एस.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित कोल लिंकेज के आधार पर कंपनी ने जी.सी.आर.टी.पी.पी. के मामले में सैट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) के साथ और आर.जी.टी.पी.पी. के मामले में नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल.), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.सी.एल.), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एम.सी.एल.) एवं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) के साथ ईंधन आपूर्ति अनुबंध (एफ.एस.ए.) पर हस्ताक्षर किए थे। स्थानीय स्रोत के कोयले के साथ आयतित कोयले को मिलाकर इसकी जी.सी.वी. सुधारने के लिए 2010-15 के दौरान

मैसर्ज पी.ई.सी. लिमिटेड और एम.एस.टी.सी. लिमिटेड (भारत सरकार के पी.एस.यू.ज.) से उच्च जी.सी.वी. वाला आयातित कोयला भी खरीदा।

इस बारे में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे चर्चित हैं:

#### **2.1.9.1 लोडिंग और अनलोडिंग प्लायटर पर जी.सी.वी. में भिन्नताओं के कारण कोयले की खरीद पर अतिवित व्यय**

जी.सी.वी. के आधार पर कोयले को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कोयले का मूल्य कोयले की श्रेणी पर निर्भर करता है। एफ.एस.ए. के अनुसार, विक्रेता को प्रत्येक कोयला खान के लिए एक श्रेणी घोषित करनी होती है जहां से कोयला प्रेषित किया जाता है। विक्रेता सर्वप्रथम आपूर्ति कोयले के लिए घोषित श्रेणी के आधार पर स्रोत - वार बिल प्रस्तुत करता है। बाद में, कोयले की वास्तविक गुणवत्ता के अनुसार आधार - मूल्य पर पहुंचने के लिए कोयले की जी.सी.वी. लोडिंग सीमा पर निर्धारित की जाती है और अंतरीय श्रेणी गिरावट (अर्थात् कोयले की घोषित श्रेणी और विश्लेषित श्रेणी के आधार - मूल्य के बीच का अंतर यदि कोई हो) के लिए श्रेय विक्रेता द्वारा दिया जाना था। एफ.एस.ए. में अनलोडिंग छोर पर कोयले की जी.सी.वी. के परीक्षण हेतु किसी प्रावधान के अभाव में, लोडिंग छोर और अनलोडिंग छोर के बीच श्रेणी गिरावट हेतु श्रेय उपलब्ध नहीं था। परिणामस्वरूप यदि प्लांट पर प्राप्त किए कोयले की जी.सी.वी. लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. से कम हो तो प्लांट को निम्न श्रेणी के कोयले के लिए उच्चतर दरें अदा करनी पड़ती हैं।

#### **डी.सी.आर.टी.पी.पी.**

जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 के दौरान नमूना - जांच किए 1,172 रेक्स की गुणवत्ता जांच रिपोर्ट के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि 679 रेक्स में अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. लोडिंग छोर से कम थी। लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. 4,841 से 5,344 तथा अनलोडिंग छोर पर 3,517 से 5,050 के बीच रही। लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. की तुलना में अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. में भिन्नता 88 के.सी.ए.एल./के.जी से 1,502 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. की सीमा के बीच रही। इसके परिणामस्वरूप 2013 - 14 के दौरान उत्पादन की लागत ₹ 0.25 /के.डब्ल्यू.एच.<sup>6</sup> तक बढ़ने के साथ - साथ जनवरी 2013 से दिसंबर 2014 के दौरान ₹ 152.22 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान फलित हुआ।

#### **आर.जी.टी.पी.पी.**

अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान, जांच किए गए रेक्स की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अनलोडिंग छोर पर जांचे गए कुल 1,519 रेक्स में से 1,463 रेक्स में जी.सी.वी. कम पाई गई। जी.सी.वी. लोडिंग छोर पर 3,655.41 से 5,091.92 की सीमा में और अनलोडिंग छोर पर 2,545.09 से 3,834.10 के बीच रही। अनलोडिंग छोर पर जी.सी.वी. में विभिन्नता लोडिंग छोर पर जी.सी.वी. की तुलना में 710.57 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. से 2,115.79 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. के बीच रही। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से मार्च 2015 के दौरान आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 414.91 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ और 2013 - 14 एवं 2014 - 15 के लिए क्रमशः ₹ 0.34 /के.डब्ल्यू.एच. और ₹ 0.51 /के.डब्ल्यू.एच से उत्पादन लागत में वृद्धि हुई।

<sup>6</sup> जी.सी.वी. में अंतर के कारण प्लांट द्वारा वहन की गई अतिरिक्त लागत को निवल उत्पादित विद्युत से विभक्त करके।

उत्पादन की इस अधिक लागत से उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझा पड़ा क्योंकि उन्हें उच्चतर टैरिफ अदा करनी पड़ी। कंपनी ने यह मामला राज्य सरकार के माध्यम से कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, के साथ नहीं उठाया था। सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मामला केंद्र सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया था परंतु कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ और कंपनी ने मार्च 2015 से थर्ड पार्टी सैप्लिंग को नियुक्त किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी को भारी वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए मामला निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए थे।

### **2.1.9.2 श्रेणी गिरावट पर परिहार्य व्यय**

विश्लेषित गुणवत्ता/श्रेणी के अनुसार कोयले की लागत के समायोजन के लिए, कोयला कंपनियां केवल कोयले के आधार-मूल्य में अंतर की सीमा तक ही श्रेय गिरावट पर श्रेय देती हैं। कोयला कंपनियों ने कोयले की घोषित श्रेणी और विश्लेषित श्रेणी के आधार-मूल्य में अंतर के कारण सीमा शुल्क, शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर और केंद्रीय बिल्डिंग कर पर डी.सी.आर.टी.पी.पी. / आर.जी.टी.पी.पी. द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की।

लेखापरीक्षा ने अबलोकित किया कि एफ.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार, कोयले की श्रेणी की सैप्लिंग और विश्लेषण उसके प्रेषण के 4-5 दिनों के भीतर पूर्ण किया जाना था और चालन/बिल कोयला कंपनियों द्वारा डिलीवरी के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करना था। तदनुसार, बिलिंग कोयले की वास्तविक/विश्लेषित श्रेणी के आधार पर उसके परिणामों की प्राप्ति के बाद की जा सकती थी। फिर भी, विश्लेषण के परिणाम की प्राप्ति से पहले ही कोयले की बिलिंग घोषित श्रेणी के आधार पर की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी को वैधानिक शुल्क के तौर पर ₹ 4.68 करोड़ (₹ 3.75 करोड़ डी.सी.आर.टी.पी.पी. और 0.93 करोड़ आर.जी.टी.पी.पी.) का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि दावे एफ.एस.ए. के अनुसार दर्ज किए गए थे और अब मामला केंद्रीय उत्पाद कर के अस्थाई निर्धारण के लिए उठाया जाएगा।

### **2.1.9.3 एफ.एस.ए. के अनुसार वैधानिक प्रभारों और कम लोडिंग के कारण प्रमात्रा अंतर की प्रतिपूर्ति न होने के कारण अतिरिक्त व्यय**

कोयला कंपनियां डी.सी.आर.टी.पी.पी. और आर.जी.टी.पी.पी. को कोयले की आपूर्ति रेलवे के माध्यम से करती हैं और रेलवे-भाड़ा वैगन की लदान क्षमता के अनुसार प्रभारित करती हैं। लदान क्षमता से कम लोडिंग पर होने वाले व्यर्थ भाड़ा प्रभार कोयला कंपनियों द्वारा प्रतिपूरित किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भाड़ा प्रभारों में मूल किराया, डायनिमिक मूल्य प्रभार (डी.पी.सी.), विकास सरचार्ज (डी.एस.) और उस पर सेवाकर शामिल थे। कम लोडिंग के मामले में, डी.सी.आर.टी.पी.पी. / आर.जी.टी.पी.पी., डी.पी.सी., डी.एस. और सेवाकर के साथ-साथ व्यर्थ भाड़े का दावा कोयला कंपनी से करती है। तथापि, कोयला कंपनियां केवल मूल भाड़े के लिए ही श्रेय देती हैं।

पुनः आइडल भाड़े के लिए मानी गई कम लोडिंग प्रमात्रा एफ.एस.ए. के अनुसार अनुमत प्रमात्रा से भी कम थी। मई 2015 को, कम लोडिंग, डी.पी.सी., डी.एस., सेवाकर इत्यादि के तौर पर कुल बकाया दावे, जो 2010-15 अवधि के दौरान विभिन्न कोयला कंपनियों से वसूलनीय थे, ₹ 25.87 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 7.49 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 18.38 करोड़) थे।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मामला कोयला कंपनियों के साथ उठाया गया है। और कोयला कंपनियों को कम लोडिंग घटाने के लिए कहा गया है।

#### **2.1.9.4 वैधानिक प्रभारों का परिहार्य भुगतान और बड़े माप के पत्थरों के लिए दावे प्रस्तुत करने में विलंब**

कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति प्राप्त करते समय कुछ मात्रा पत्थर की भी प्राप्त होती है। एफ.एस.ए./मैमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू.) के अनुसार अधिक आकार के पत्थरों (250 एम.एम. से ऊपर) की मात्रा के लिए रेलवे भाड़ा एवं वैधानिक प्रभारों (रायलटी, उपकर, शुल्क, कर, उद्ग्रहण इत्यादि) को छोड़कर, भारित औसत के अनुसार आधार-मूल्य तथा अन्य प्रभारों, की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोयला कंपनियां उत्तरदायी थीं। इस प्रकार, प्लांट्स द्वारा वैधानिक प्रभारों और रेलवे भाड़े का भुगतान किया जाना था जिसकी प्रतिपूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा नहीं होनी थी। पत्थर पर इन प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए प्लांट्स द्वारा कोयला संचालन एजेंट<sup>7</sup> की सहायता से कोयले के साथ आने वाले पत्थर की प्राप्ति कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने अपेक्षित थे।

**डॉ.सी.आर.टी.पी.पी.**

प्लांट ने कोयला संपादन एजेंट के कार्य-क्षेत्र में पत्थर की प्राप्ति कम से कम करने का दायित्व शामिल नहीं किया था। अप्रैल 2010 से नवंबर 2014 के दौरान 30,467.47 एम.टी.पत्थर (250 एम.एम. से ऊपर) सी.सी.एल. से प्राप्त हुआ था जो कोयला आपूर्ति का 0.36 प्रतिशत परिकलित हुआ। परिणामतः प्लांट को अधिक बड़े पत्थरों पर भुगतान किए वैधानिक प्रभारों के कारण ₹ 1.09 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

**आर.जी.टी.पी.पी.**

आर.जी.टी.पी.पी. में कोयला संपादन एजेंट के कार्यक्षेत्र में पत्थर की प्राप्ति कम से कम करने के दायित्व को शामिल नहीं किया गया था। इसे ₹ 0.53 करोड़ का अतिरिक्त व्यय (जुलाई 2011 से जुलाई 2012 के दौरान एन.सी.एल. से 0.15 करोड़ और मई 2014 से मार्च 2015 के दौरान बी.सी.सी.एल. के मामले में ₹ 0.38 करोड़) अधिक बड़े पत्थरों पर भुगतान किए वैधानिक प्रभारों के एवज में वहन करना पड़ा।

पुनः, आर.जी.टी.पी.पी. ने जुलाई 2011 से जुलाई 2012 के दौरान एन.सी.एल. से कोयले के साथ-साथ 4,283.78 एम.टी.पत्थर प्राप्त किए। पत्थर के निर्धारण के बारे में कोयला कंपनी को आगामी मास की 15 तारीख से पहले सूचित करना था। तथापि, आर.जी.टी.पी.पी. ने पत्थरों की मात्रा के बारे में (2 सितंबर 2013) सूचित किया और जुलाई 2011 से जुलाई 2012 से संबंधित 0.54 करोड़ का दावा एन.सी.एल. को 12 से 24 मास की देरी से प्रस्तुत किया। एन.सी.एल. ने दावा अस्वीकार कर दिया जो अभी भी (जून 2015) बकाया था।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में स्वीकार किया तथा बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुरूप सीमित करने का खंड कोयला संपादन एजेंट के अनुबंधों में डाल दिया गया है।

<sup>7</sup> कोयला संचालन एजेंट की नियुक्ति कंपनी द्वारा कोयला कंपनियों और रेलवे के मध्य संयोजन तथा लिंकेज के मूर्तरूप में सुधार के लिए की जाती है।

### **2.1.9.5 कोयले की अत्यधिक पारगमन हानियां**

विभिन्न कोयला खानों से कोयला डी.सी.आर.टी.पी.पी./आर.जी.टी.पी.पी. को रेलवेज विभिन्न रेल पथों से भेजता है। पिट हैड (कोयला खान) से आपूर्ति और थर्मल पावर प्लांट में प्राप्त कोयले में अंतर पारगमन हानि है। एच.ई.आर.सी. द्वारा दोनों प्लांट्स के संबंध में निर्धारित मानक वर्ष 2010 - 12 के लिए तथा 2012 - 15 के दौरान कुल कोयला आपूर्ति का क्रमशः 1 और 1.5 प्रतिशत था। अत्यधिक पारगमन हानियां विद्युत प्लांट्स की लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डालती हैं।

#### **डी.सी.आर.टी.पी.पी.**

2010 - 13 के दौरान, पारगमन हानियां एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थीं और 2.80 प्रतिशत से 7.17 प्रतिशत की सीमा में रहीं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 83.10 करोड़ मूल्य के 2.98 लाख एम.टी. कोयले की हानि हुई।

#### **आर.जी.टी.पी.पी.**

2010 - 13 के दौरान, पारगमन हानियां अधिक थीं और 6.93 प्रतिशत से 10.92 प्रतिशत की सीमा में रही। परिणामस्वरूप ₹ 116.48 करोड़ मूल्य के 4.23 लाख एम.टी. कोयले की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण किया कि कोयला संपादन एजेंट के साथ अनुबंध में, 3 प्रतिशत से अधिक पारगमन हानियों के मामले में जुर्माने का प्रावधान था, जबकि एच.ई.आर.सी. द्वारा नियत मानक पारगमन हानियां 1 से 1.5 प्रतिशत की सीमा में थीं। परिणामस्वरूप कंपनी को कोयला एजेंट की नियुक्ति के बावजूद अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि कोयला संपादन एजेंट के हाल में दिए कार्य आदेश में पारगमन हानियों के लिए मानक/मानदंड एच.ई.आर.सी. आदेशों के अनुरूप 1.5 प्रतिशत रखे गए हैं।

### **2.1.9.6 लाभदायी कोयले का क्रय न करना**

लाभदायी कोयला 20 से 22.5 प्रतिशत तक परिवहन लागत बचाने और कोयले की बेहतर गुणवत्ता देने के साथ जी.सी.बी. में सुधार करता है तथा प्लांट के रख - रखाव को भी कम करता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम.ओ.ई. एंड एफ.), भारत सरकार ने अधिसूचित किया (सितंबर 1997) कि पिटहैड्स से 1,000 के.एमज से अधिक दूरी पर स्थित थर्मल प्लांट्स को, वार्षिक आधार पर, 34 प्रतिशत तक सीमित राख प्रतिशतता वाला लाभदायी कोयला (जून 2002 से) प्रयोग करना चाहिए। लाभदायिता के लाभों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आर.जी.टी.पी.पी. के लिए एम.सी.एल. द्वारा आपूर्ति कोयले की लाभदायिता आरंभ कर दी (मार्च 2011)। एफ श्रेणी के 5.55 एम.टी.पी.ए. कोयले की धुलाई के लिए कार्य आदेश चार आपूरकों<sup>8</sup> को दिए गए (मार्च 2011)। आपूरकों ने जून 2011 से मई 2012 के दौरान

<sup>8</sup> लाभदायिता कोयले से धूल, पत्थर और शैलज को हटाने के लिए वाशरीज पर घटिया गुणवत्ता के कच्चे कोयले की धुलाई और कोयले को उपयुक्त आकार में काटने की प्रक्रिया है।

<sup>9</sup> मैसर्ज ग्लोबल कोल फील्ड लिमिटेड एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्ज भाटिया कोल वाशरीज लिमिटेड, मैसर्ज गुप्ता ग्लोबल रिसोर्सिज लिमिटेड और ए.सी.बी. इंडिया लिमिटेड।

केवल 1.49 एम.टी. की ही आपूर्ति की। उसके बाद लाभदायी कोयले के प्रयोग के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। इस प्रकार, 2010-15 के दौरान कच्चे कोयला लिंकेज की पूरी मात्रा को लाभदायी कोयले के तौर पर प्रयुक्त करने की कंपनी की विफलता के कारण ₹ 0.14 प्रति के.डब्ल्यू.<sup>10</sup> की दर पर परिकलित/विचारित ₹ 517.54 करोड़ की बचत का लाभ नहीं उठाया जा सका और इसके अतिरिक्त एम.ओ.ई. एंड एफ. के निर्देशों की अनुपालना भी नहीं हुई।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि कंपनी का विचार था कि रन-आफ माइन्ज (आर.ओ.एम.) कोयला केवल सरकारी स्वामित्व वाली वाशरीज द्वारा ही लाभदायी बनाया जाना चाहिए और सरकार वाशरीज की अनुपलब्धता के कारण कोयले को लाभदायी नहीं बनाया जा सका। एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि मामला कोयला कंपनियों के साथ उठाया गया है और लाभदायी कोयले की आपूर्ति के लिए उनके द्वारा वाशरीज की स्थापना की जाएगी। परंतु तथ्य रह जाता है कि कंपनी एम.ओ.ई. एंड एफ. के निर्देशों की अनुपालना करने तथा साथ ही लाभदायी कोयला प्रयुक्त करने पर होने वाले विचारित बचतों का फायदा उठाने में विफल रही।

#### **2.1.9.7 एम.सी.एल. के साथ एफ.एस.ए. के अनिष्टादन के परिणामस्वरूप पत्थर के एवज में तथा प्रमात्रा की कम प्राप्ति पर आधारित दावों के अनिपटान**

18 अक्टूबर 2007 को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिसूचित कोयला वितरण नीति के अंतर्गत, मानकीय आवश्यकता की मात्रा का शत-प्रतिशत कोयला कंपनियों द्वारा एफ.एस.ए. के माध्यम से आपूर्ति किया जाना था। कंपनी यह आपूर्ति 31 मार्च 2013 तक मैमोरैंडम आफ अंडरस्टैडिंग (एम.ओ.यू.) के माध्यम से प्राप्त करती रही थी। पहला एम.ओ.यू. 30 नवंबर 2009 को आर.जी.टी.पी.पी. को कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोल फील्ड (एम.सी.एल.) लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। उसके बाद, कंपनी ने हस्ताक्षरित/समय-समय पर बढ़ाई गई एम.ओ.यू.ज के आधार पर 31 मार्च 2013 तक कोयले की आपूर्ति प्राप्त करना जारी रखा।

यह देखा गया कि 30 नवंबर 2009 और 21 मई 2010 को हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में एक खंड था कि एम.ओ.यू. के अंतर्गत सभी वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें एफ.एस.ए. के अनुमोदित प्राप्त-माडल (3 जुलाई 2008) के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि, ये नियम व शर्तें 30 अगस्त 2010 और 6 अप्रैल 2012 के बीच हस्ताक्षरित/बढ़ाए गए एम.ओ.यू.ज में शामिल नहीं की गई थीं।

आर.जी.टी.पी.पी. ने जून 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए मॉडल एफ.एस.ए. के अनुसार पत्थर, कम प्राप्ति और कम लोडिंग के एवज में ₹ 56.04 करोड़ के मूल्य के दावे एम.सी.एल. को प्रस्तुत किए परंतु ये 30 अगस्त 2010 और 6 अप्रैल 2012 के बीच किए गए/बढ़ाए गए एम.ओ.यू.ज में मॉडल एफ.एस.ए. के मानक नियम एवं शर्तों के शामिल न होने के कारण स्वीकृत नहीं किए गए। इस प्रकार, आर.जी.टी.पी.पी. व्यर्थ भाड़ा और कम आपूर्ति इत्यादि के ₹ 56.04 करोड़ मूल्य के दावे वसूल करने में असमर्थ रहा।

<sup>10</sup> लाभदायी कोयले की खरीद के लिए उच्च शक्ति क्रय समिति को प्रस्तुत विचारित लाभों के आधार पर कंपनी द्वारा परिकलित।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि खंड को कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के अनुरोध पर हटाया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी को मामला भारत सरकार के साथ उठाना चाहिए था।

### **2.1.9.8 ई.सी.एल. द्वारा लगाए जुर्माने पर परिहार्य व्यव**

ई.सी.एल. के साथ एफ.एस.ए. के अनुसार, यदि क्रेता/विक्रेता वार्षिक अनुबंध मात्रा (ए.सी.क्यू.) की 65 प्रतिशत तक की मात्रा लेने/देने में विफल रहता है तो चूककर्ता पार्टी लेने/देने, जो भी मामला हो, में ऐसी कमी के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर.जी.टी.पी.पी. ने विभिन्न कोयला कंपनियों से कोयला लेने की योजना इस प्रकार नहीं बनाई थी कि जुर्मानों के परिहार के लिए आवश्यक न्यूनतम मात्रा उठा ली जाए। सितंबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान आर.जी.टी.पी.पी. ने 2.85 लाख एम.टी. (4.39 लाख एम.टी. के ए.सी.क्यू. का 65 प्रतिशत) के विरुद्ध ई.सी.एल. से 0.82 लाख एम.टी. कोयला लिया जो ए.सी.क्यू. का 18.7 प्रतिशत था। तथापि, इसने अप्रैल 2013 से दिसंबर 2013 के दौरान एन.सी.एल. से 10.61 लाख एम.टी. (नौ मास के लिए 15.72 लाख एम.टी. के ए.सी.क्यू. का 90 प्रतिशत) के विरुद्ध 12.37 लाख एम.टी. लिया जो ए.सी.क्यू. का 104.92 प्रतिशत था। इस प्रकार, 1.76 लाख एम.टी. (12.37 लाख एम.टी. - 10.61 लाख एम.टी.) अधिक उठाया गया। लेकिन ई.सी.एल. से 2.03 लाख एम.टी. (2.85 लाख एम.टी. - 0.82 लाख एम.टी.) कम उठाने के कारण, आर.जी.टी.पी.पी. को ₹ 18.20 करोड़ के जुर्माने का भुगतान करना पड़ा। यदि आर.जी.टी.पी.पी. ने ई.सी.एल. से कम से कम 1.76 लाख एम.टी. लिया होता, तो यह ₹ 15.78 करोड़ के जुर्माने का परिहार कर सकता था।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में तर्क दिया कि ई.सी.एल. से अनलोडिंग छोर पर प्राप्त कोयले के जी.सी.वी., बिल किए गए श्रेणी के जी.सी.वी. जो 4,000 के.सी.ए.एल./कि.ग्रा. था, से भिन्न था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि ई.सी.एल. कोयला की लैडिड कोस्ट एम.सी.एल. और एन.सी.एल. से आपूरित कोयले की तुलना में अधिक थी तथा कंपनी ने ई.सी.एल. और एन.सी.एल. की लैडिड कोस्ट के आधार पर ₹70 करोड़ बचाए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी की बचतों का तर्क ई.सी.एल. से प्राप्त कोयले की गुणवत्ता को नजरअंदाज करके केवल कोयले को लाने की लागत पर आधारित था। जहां तक ई.सी.एल. से आपूरित कोयले की जी.सी.वी. में भिन्नता का संबंध है, कंपनी को यह मामला उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना चाहिए था। तथापि, तथ्य रह जाता है कि कंपनी ने यदि ई.सी.एल. से कम से कम 1.76 लाख एम.टी. कोयला लिया होता तो यह ₹ 15.78 करोड़ के जुर्माने का परिहार कर सकती थी।

### **2.1.10 माल सूची प्रबंधन**

#### **2.1.10.1 अधिक माल सूचियां बनाने भानक**

परिचालन गतिविधियों के लिए स्पेयर्ज भंडार तथा अन्य माल की आवश्यकता देशी और विदेशी खरीदों के माध्यम से पूरी की जाती है। कंपनी के खरीद मैनुअल के अनुसार माल की खरीद न्यूनतम आवश्यकता तक सीमित करनी चाहिए ताकि स्टॉक उपभोग के लिए तुरंत उपलब्ध होने के साथ-साथ अधिक स्टॉक का भी परिहार किया जा सके। एच.ई.आर.सी. ने 2010 - 15 के दौरान डी.सी.आर.टी.पी.पी. के लिए माल सूची (प्लाट के साथ आपूरित ओ.ई.एम.

सिफारिशों के अनुसार अनिवार्य स्पेयर्ज को छोड़कर) की मानक सीमा ₹ 18 करोड़ और ₹ 7.23 करोड़ के बीच तथा आर.जी.टी.पी.पी. में ₹ 51.18 करोड़ और ₹ 7.26 करोड़ के बीच नियत की थी।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में, 2010-15 के दौरान माल सूची का वास्तविक अंतिम स्टॉक ₹ 56.59 करोड़ से ₹ 67.24 करोड़ के बीच सीमित रहा जो मानक स्टॉक सीमा से 2.5 से 7.9 गुणा की सीमा तक अधिक था। आर.जी.टी.पी.पी. में वास्तविक अंतिम स्टॉक उसी अवधि के दौरान ₹ 104.24 करोड़ से ₹ 166.99 करोड़ की सीमा में था जो मानक स्टॉक सीमा से 1.15 से 22 गुणा तक अधिक था। इस प्रकार, कंपनी की निर्णयिता उस सीमा तक अवरुद्ध रही। खरीदे गए तथा भंडार में पड़े उच्च मूल्य के स्पेयर्ज के संबंध में, 31 मार्च 2015 को ₹ 15.32 करोड़ (आर.जी.टी.पी.पी. की 11.21 करोड़ और डी.सी.आर.टी.पी.पी. की 4.11 करोड़) मूल्य की माल सूची दो सालों से अप्रयुक्त पड़ी थी।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि काफी अधिक माल सूचियां शिपिंग विलंबों के परिहार के लिए रखनी पड़ती हैं। तथापि, तथ्य रहता है कि माल सूची स्टॉक मानकों से अधिक रहा और कंपनी एच.ई.आर.सी. को उच्चतर माल सूची मानकों पर विचार करने के लिए मनवा नहीं सकी।

#### **2.1.10.2 खरीद प्रक्रिया**

कंपनी के क्रय विनियमों के विनियम 6.2 में प्रावधान है कि सभी खरीदों के लिए खुले टेंडर आमंत्रित करने हैं सिवाय उन मदों के जिनके लिए कंपनी अन्यथा निर्णय ले। आपूरकों द्वारा कार्टेल बनाने की संभावना हटाने तथा उनको भंडारों की प्रोप्राइटरी प्रकृति का अनुचित लाभ लेने से रोकने के लिए, हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देश (मई 2010) वैकल्पिक उत्पादों का प्रयोग निर्धारित करती है। वैकल्पिक उत्पादों के प्रयोग की संभावना खोजने के लिए मार्गनिर्देशों ने विशेषज्ञ समितियों के गठन के निर्देश दिए। मार्गनिर्देशों ने इस प्रकार की प्रोप्राइटरी मदों की आपूर्ति के संबंध में प्रतियोगिता का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापक टेंडर आमंत्रित करने भी निर्धारित किए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने खरीद करने हेतु भंडारों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जैसे कि वे प्रोप्राइटरी प्रकृति के थे या नहीं। डी.सी.आर.टी.पी.पी. ने 2010-15 के दौरान ₹ 148.58 करोड़ की खरीद की जिसमें से ₹ 108.36 करोड़ (73 प्रतिशत) मूल्य की खरीद उन भंडारों की थी जो प्रोप्राइटरी प्रकृति के थे (सीमित निविदा या एकल निविदा आधार पर खरीदे हुए) और ₹ 38.78 करोड़ (27 प्रतिशत) की खरीद खुली निविदा आधार पर की गई थी जबकि आर.जी.टी.पी.पी. ने 2010-15 के दौरान ₹ 292.77 करोड़ की खरीद की जिसमें से ₹ 238.77 करोड़ (82 प्रतिशत) प्रोप्राइटरी प्रकृति के भंडार की (सीमित निविदा आधार पर खरीदे) और ₹ 52.42 करोड़ (18 प्रतिशत) मूल्य की खरीद खुली निविदा के आधार पर थी। सीमित निविदा आधार पर प्रोप्राइटरी प्रकृति वाले भंडार की उच्च मात्रा की खरीद, पहले उसकी प्रकृति का निर्णय किए बिना करना, कंपनी के खरीद मैनुअल के और राज्य सरकार के मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में थी।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि खरीदे गए हिस्सों के विस्तृत ड्राईंग्स की अनुपलब्धता के कारण यह खरीद प्रोप्राइटरी आधार पर करने पड़े और अब कंपनी ने वेंडर

डेवलपमेंट की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। तथ्य रहता है कि कंपनी ने खरीद करने हेतु भंडारों की प्रकृति निर्धारित करने के लिए कोई कार्य नहीं किया। जहां तक, खरीद करने हेतु पार्टी की विस्तृत ड्राइंग्ज की अनुपलब्धता का संबंध है, अनुबंधों के हिस्से के रूप में वचनबद्ध होने के बावजूद कंपनी ने उनकी आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्त्ताओं पर दबाव नहीं डाला।

### 2.1.10.3 सी.एम.आई.एम.एस. के प्रयोग में विलंब के कारण निष्फल व्यव

कंप्यूटरीकृत रख-रखाव तथा माल प्रबंधन प्रणाली (सी.एम.आई.एम.एस.) आर.जी.टी.पी.पी. में परियोजना के बॉयलर-टर्बाइन-जेनरेटर पैकेज के अधीन टर्नकी कार्यक्षेत्र के अनुसार प्रदान किया जाना था जिसमें ₹ 6.40 करोड़ लागत के हार्डवेयर-सर्वर, क्लाईट पी.सी. इत्यादि तथा साफ्टवेयर-एम.एस.आफिस, एडोबी रीडर और सी.एम.आई.एम.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर ‘एवान्टीज प्रो’ हों। पूरे माल की आपूर्ति ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा नवंबर 2009 में की गई थी जिसके लिए भुगतान दिसंबर 2009 में, एफ.टी.ओ. के समय देय ₹ 0.64 करोड़ अवरोधन धन की कटौती के बाद किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि इकाई-I और II 2011 से परिचालन में थे परंतु सी.एम.आई.एम.एस. अभी तक कस्टमाईजेशन<sup>11</sup> न होने के कारण परिचालित नहीं किया गया था (जून 2015)। कंपनी ने ई.पी.सी. ठेकेदार से इसके आगामी बिलों में से सी.एम.आई.एम.एस. के अपरिचालन के कारण भुगतान की कटौती अभी (नवंबर 2015) तक नहीं की थी। सी.एम.आई.एम.एस. के अप्रयोग के कारण, इसके द्वारा करने के लिए विचारित कार्य, मैनुअली किया जा रहा था और इसपर ₹ 5.76 करोड़ का व्यय निष्फल रहा था।

सरकार और प्रबंधन ने अपने उत्तर में अपरिचालन को स्वीकारते हुए कहा कि परिचालन प्रभार ठेकेदार के बिलों से रोक लिए गए हैं और इसे प्रयोग करने के प्रयास किए जा रहे थे।

### 2.1.11 पर्यावरण संरक्षण उपाय

#### 2.1.11.1 एम.ओ.ई. एंड एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार शुष्क फ्लाई ऐश का अप्रयोग

ई.पी.सी. अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार, आर. इन्फ्रा द्वारा दो प्रणालियों वाला ऐश हैंडलिंग प्लांट (ए.एच.पी.) स्थापित करना था, एक चार धाराओं वाले शुष्क फ्लाई ऐश (80 प्रतिशत) के लिए और दूसरा गरेवाली गीली बॉटम ऐश (20 प्रतिशत) के लिए जिसे ऐश के तालाब में छोड़ा जाना था। शुष्क फ्लाई ऐश की निकासी ऐश सिलो<sup>12</sup> के माध्यम से होनी थी और निपटान एम.ओ.ई. एंड एफ. के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाना था। कंपनी शुष्क फ्लाई ऐश के उठाने और प्रयोग के लिए सीमेट उत्पादक कंपनियों के साथ अनुबंध करती है तथा ऐसी निकासित शुष्क फ्लाई ऐश पर प्रशासनिक प्रभार एकत्रित करती है।

डी.सी.आर.टी.पी.पी. में शुष्क फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके परिणामतः शुष्क रूप की बजाय गीले रूप में अधिक ऐश का उत्पादन हुआ जो पर्यावरण के लिए नुकसान का कारण

<sup>11</sup> कस्टमाईजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मानक उत्पाद/साफ्टवेयर, संगठन की निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जाता है।

<sup>12</sup> ऐश सिलोज ऐश की निकासी के लिए स्टोरेज टैंक है।

था। यह अपर्याप्तता इस तथ्य से प्रतिबिंबित होती है कि उत्पादित 23.00 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश से प्लांट 2010-15 के दौरान 7.33 लाख एम.टी. ही शुष्क रूप में निकाल सका जो उत्पादित ऐश की मात्रा का केवल 14 से 53 प्रतिशत था। इससे कंपनी ने उसी अवधि में ₹ 28.90 करोड़ कमाए। चूंकि शेष 15.67 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश की शुष्क रूप में निकासी नहीं हो सकी, ₹ 61.76 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उसी अवधि के दौरान कंपनी द्वारा नहीं कमाया जा सका।

आर.जी.टी.पी.पी. में दोनों इकाइयों के लिए शुष्क ऐश निकासी प्रणाली प्लांट के चालू होने की नियत तारीख से 11 मास के विलंब के बाद नवंबर 2011 में चालू की गई। निकासी प्रणाली के चालू होने के बाद भी अपर्याप्त निकासी<sup>13</sup> प्रणाली के कारण जनवरी 2012 से फरवरी 2014 के दौरान शुष्क रूप में ऐश की उत्पत्ति 2 से 36 प्रतिशत की सीमा में रही। कंपनी ने 54.01 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश का उत्पादन किया जिसमें से 11.18 लाख एम.टी. शुष्क रूप में थी, जिसके विक्रय से कंपनी ने 2010-15 के दौरान ₹ 33.72 करोड़ कमाए। शेष 42.83 लाख एम.टी. फ्लाई ऐश की निकासी शुष्क रूप में नहीं की जा सकी और कंपनी उस अवधि में ₹ 140.23 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व नहीं कमा सकी। पुनः, अपर्याप्त शुष्क फ्लाई ऐश निकासी प्रणाली के कारण, ऐश का निपटान गीले रूप में करना पड़ा जिसके कारण ऐश डाईक<sup>14</sup> की ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। ऐश डाईक की ऊंचाई बढ़ाने का कार्य ₹ 25.04 करोड़ में दिया गया (11 फरवरी 2014) जो प्रगति में था (सितंबर 2015)। अनुबंध के अनुसार, ई.पी.सी. ठेकेदार प्लांट के परिचालन के लिए पर्याप्त मूलभूत संरचना उपलब्ध करवाने के लिए उत्तरदायी था, परंतु ऐश डाईक की ऊंचाई बढ़ाने की लागत आर. इन्फ्रा से वसूल नहीं की गई।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकारा और कहा कि ऐश डाईक को आर. इन्फ्रा के जोखिम और लागत पर बढ़ाना विचाराधीन है।

### **2.1.11.2 उच्चतर दरों पर जल उपकर के निर्धारण के कारण अतिरिक्त व्यय और उस पर छूट का लाभ न उठाना**

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियन्त्रण) उपकर अधिनियम, 1977 की धारा 3 निर्धारित करती है कि यदि व्यक्ति अधिनियम की धारा 25 के किसी भी प्रावधानों और केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंडों की अनुपालना में विफल रहता है तो उपकर उच्चतर दरों पर देय होगा। पुनः, इस अधिनियम की धारा 7 अन्य बातों के साथ यह बताती है कि जहां कोई व्यक्ति सीवेज या व्यापारिक निकास-प्रवाह के ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लांट लगाता है तो वह देय उपकर पर 25 प्रतिशत की छूट का हकदार होगा।

यह देखा गया कि चूंकि दोनों प्लांट एम.ओ.ई. एंड एफ., भारत सरकार की लाभदायी कोयले के प्रयोग की आवश्यकता की अनुपालना करने में विफल रहे जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 2.1.9.6 में चर्चा की गई है, उनपर जल उपकर उच्चतर दरों पर लगाया गया था। पुनः, कंपनी दोनों

<sup>13</sup> शुष्क फ्लाई निकासी प्रणाली बाद में आर. इन्फ्रा द्वारा जनवरी 2014 और जून 2014 में अपनी लागत पर आवर्धित की गई।

<sup>14</sup> ऐश डाईक पांच वर्षों के दौरान अनुमानित गीली ऐश उत्पादन के लिए ऐश गारा एकत्र करने हेतु निर्मित तालाब है।

प्लांट्स में निकास - प्रवाह ट्रीटमैट प्लांट और सीवेज ट्रीटमैट प्लांट की परिस्थापन के बावजूद उपकर पर 25 प्रतिशत की छूट का लाभ नहीं उठा सकी। इसके परिणामस्वरूप 2010 - 15 के दौरान उच्चतर दरों पर उपकर के भुगतान तथा जल उपकर पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ न उठाने के कारण ₹ 1.16 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 0.61 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 0.55 करोड़) के उपकर का परिहार्य भुगतान हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पत्राचार किया गया परंतु वे छूट प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तथ्य रहता है कि कंपनी छूट प्राप्त करने के लिए मापदंडों को पूरा नहीं कर सकी।

### 2.1.12 आंतरिक नियंत्रण

#### 2.1.12.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण यह समुचित आश्वासन प्रदान करने के लिए कि प्रबंधन उद्देश्य दक्षतापूर्ण और प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं एक प्रबंधन यंत्र है। कंपनी द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की समीक्षा से प्रकट हुआ कि वे अपर्याप्त थे और अन्यत्र तथा नीचे इंगित कर्मियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के परिचालन के आकार के साथ पूर्ण नहीं थे।

- ई.पी.सी. अनुबंध शर्तें लागू नहीं की गई; ठेकेदार के साथ मामले के निपटान के लिए निर्णय में विलंब किए गए; घोषित श्रेणी के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा बिलिंग की प्रणाली नहीं बनाई गई; दावों की विलंबित प्रस्तुति; कोयला कंपनियों के साथ एफ.एस.ए. का निष्पादन न होना और अधिक माल सूचियां बनाया जाना;
- कंपनी द्वारा बैंक में माल - भाड़े का अग्रिम भुगतान करने हेतु अपरिवर्तनीय साखपत्र रखने के बावजूद दोनों प्लांट्स ने माल - भाड़े का अग्रिम भुगतान करने के लिए निधियों की सामयिक व्यवस्था न करने के कारण कोयले के परिवहन पर रेलवेज को ₹ 2.38 करोड़ (डी.सी.आर.टी.पी.पी. ₹ 0.82 करोड़ और आर.जी.टी.पी.पी. ₹ 1.56 करोड़) के परिहार्य माल - भाड़ा सरचार्ज का भुगतान किया।

इस अपर्याप्तता पर साविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट में बार - बार टिप्पणी की गई थी। प्रबंधन ने बताया कि प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

#### 2.1.12.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी का एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल है तथा 2013 - 14 तक की लेखापरीक्षा पूर्ण हो चुकी थी तथा 2014 - 15 के लिए लेखापरीक्षा प्रगति में था (सितंबर 2015)। तथापि, लेखापरीक्षा जांच के क्षेत्र और सीमा तथा इसमें कवर किए जाने वाले क्षेत्रों को निर्धारण करने वाला कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल नहीं था। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों ने प्रबंधन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए कोई प्रक्रियात्मक मामलों और हानियों को इंगित नहीं किया और मात्र भुगतानों और स्टोकज, अनियमित क्षुद्र खरीदों, हकदारी मामलों इत्यादि के पुर्णसमायोजन पर अभ्युक्तियों तक ही सीमित थे।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया कि मैनुअल अंतिम चरण पर है और यह आंतरिक लेखापरीक्षा को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है।

### निष्कर्ष

दोनों प्लांट्स 2010-15 के दौरान मानक पी.एल.एफ. प्राप्त करने में असमर्थ रहे। एच.ई.आर.सी. के मानकों से अधिक इनपुट के उपभोग तथा कोयले की अत्यधिक पारगमन हानियों के कारण बिजली उत्पादन की लागत बहुत अधिक थी। ई.पी.सी. ठेकेदार की सेवाएं त्रुटिपूर्ण थीं और कंपनी डी.सी.आर.टी.पी.पी. में अपूर्ण निर्माण कार्यों की लागत तथा प्लांट्स की ओवरहालिंग पर किए व्यय की वसूली न करके ई.पी.सी. ठेकेदार को अदेय लाभ प्रदान कर रही थी। प्लांट्स के बार-बार अनिवार्य रूप से बंद होने तथा रोटर्ज के क्षतिग्रस्त होने के परिणामस्वरूप उत्पादन की हानि हुई। श्रेणी गिरावट, वैधानिक शुल्कों, पत्थरों के दावे और कोयला लिंकेज की कमज़ोर व्यवस्था के कारण कोयले की खरीद पर परिहार्य व्यय हुआ। दोनों प्लांट्स पर माल सूचियां भी एच.ई.आर.सी. मानकों से अधिक थीं। कंपनी ने अपने खरीद विनियमों तथा हरियाणा सरकार के मार्गनिर्देशों की उल्लंघना में, पहले ही उसकी प्रकृति का निर्णय किए बिना प्रोप्राइटरी प्रकृति के भंडार की खरीद सीमित टेंडर आधार पर की। प्लांट्स में आंतरिक नियंत्रण एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियां थीं।

### सिफारिशें

कंपनी विचार कर सकती है कि वह:

- i. सहायक विद्युत, कोयला, द्वितीयक ईंधन तेल के अधिक उपभोग को कम करने के उपाय करे;
- ii. ई.पी.सी. अनुबंध की शर्तों को लागू करे और वारंटी अवधि के दौरान की गई मरम्मत की लागत की वसूली करवाए;
- iii. श्रेणी गिरावट के दावे, पत्थर दावों और परिहार्य वैधानिक शुल्कों के भुगतान से संबंधित मामले निपटाने के लिए कोयला कंपनियों तथा कोयला मंत्रालय का अनुसरण करे;
- iv. माल सूचियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखे तथा खरीदों को हरियाणा सरकार के विनियमों के अनुसार बनाए; तथा
- v. अपने परिचालनों की प्रभावी निगरानी के लिए अपने आंतरिक नियंत्रणों और लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करे।

## 2.2 हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

### कस्टम मिल्ड राइस

#### 2.2.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार, दो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) सहित अपनी पांच खरीद एजेंसियों<sup>1</sup> (पी.एज.) के माध्यम से केन्द्रीय पूल के लिए धान प्राप्त करती है। धान सीधे ही मंडियों से भिलिंग के लिए मिलर्ज के परिसरों में भेज दिया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप बने चावल को कस्टम मिल्ड राइस (सी.एम.आर.) कहते हैं, जो सीधे ही भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को डिलीवर कर दिया जाता है। सा.क्षे.उ. अर्थात् हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) के कस्टम मिल्ड राइस से संबंधित परिचालनों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किया गया है। लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित किए गए महत्वपूर्ण परिणाम निम्नानुसार हैं।

### मुख्यांश

एच.ए.आई.सी. ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने भी 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार मिलर्ज को धान आबंटित नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.6)

खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान, 19 मिलर्ज जिन्हें 8.45 लाख क्विंटल धान आबंटित किया गया था, उनके द्वारा 1.64 लाख क्विंटल चावल डिलीवर नहीं किया गया तथा उनसे 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़ वसूलनीय थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.1)

एफ.सी.आई. ने 2010-13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि खरीद एजेंसियां (पी.एज) अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभारों पर किए गए व्यय के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

(अनुच्छेद 2.2.8.1)

धान की भिलिंग में देरी के कारण ₹ 0.93 करोड़ तथा एफ.सी.आई. को इस आशय के प्रमाण-पत्र कि ड्राईएज की राशि मिलर्ज को पी.एज द्वारा वास्तव में भुगतान कर दी गई थी, के प्रस्तुतिकरण में विलंब के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 2.2.7.3 तथा 2.2.8.7)

<sup>1</sup> खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति तथा मार्केटिंग संघ लिमिटेड (हैफेड), हरियाणा राज्य भण्डारण निगम, हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा राज्य उपभोक्ता सहकारी थोक भडार संघ लिमिटेड (कॉनफेड)।

पी.एज में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त थी तथा यह उनके परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थी। पी.एज के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों का वर्णन करने के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं था। एच.ए.आई.सी. ने राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे हुए चावल तथा धान के स्टाक का अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं किया।

(अनुच्छेद 2.2.10.1)

### 2.2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

मुख्य लेखापरीक्षा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- (i) पी.एज ने धान की खरीद तथा गतिविधि की लाभप्रदता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियत किए गए लक्ष्यों को प्राप्त किया था;
- (ii) राइस मिलर्ज को धान का आबंटन कुशलतापूर्वक किया गया था;
- (iii) मिलिंग अनुबंध के निबंधन एवं शर्तें पूर्ण थी तथा उनकी विधिवत् अनुपालना की गई थी;
- (iv) एफ.सी.आई. से वैधानिक तथा अन्य परिचालनात्मक प्रभारों की वसूली मापदण्डों के अनुरूप की गई थी; तथा
- (v) पी.एज की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रभावी थी।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं पद्धति

लेखापरीक्षा जनवरी से अप्रैल 2015 के मध्य की गई थी तथा इसमें 2010 - 11 से 2014 - 15 तक के पांच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में दो पी.एज के मुख्यालय, एच.ए.आई.सी. के दस किसान सेवा केन्द्रों (एफ.एस.सी.जे.) में से पांच किसान सेवा केन्द्र तथा धान परिचालनों में शामिल एच.एस.डब्ल्यू.सी. के बारह राजस्व जिला कार्यालयों में से पांच<sup>2</sup> राजस्व जिला कार्यालयों के अभिलेखों की संवीक्षा शामिल की गई थी।

हमने जनवरी 2015 में प्रबंधन के साथ एक एंट्री कांफ्रेंस के दौरान दोनों पी.एज को लेखापरीक्षा उद्देश्य बताए। लेखापरीक्षा परिणाम राज्य सरकार तथा दोनों पी.एज (जुलाई 2015) के प्रबंधन को प्रतिवेदित किए गए थे तथा इन पर एग्जिट कांफ्रेंस (नवंबर 2015) में चर्चा की गई थी जिसमें दोनों पी.एज के विभागाध्यक्षों ने भाग लिया था। दोनों पी.एज के प्रबंधन के सरकार द्वारा समर्थित उत्तर (नवंबर तथा दिसंबर 2015) प्राप्त किए गए हैं तथा इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय शामिल किए गए हैं।

<sup>2</sup> समग्र राज्य के लिए धान की अधिकतम खरीद के आधार पर करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल तथा फतेहबाद चुने गए थे। एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा की गई अधिकतम खरीद के आधार पर यमुनानगर चुना गया था।

#### 2.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा परिणाम, लेखापरीक्षा मापदण्ड के विरुद्ध मूल्यांकित किए गए थे जो निम्नलिखित से लिए गए हैं:

- (i) खरीद की गतिविधियों तथा धान की कस्टम मिलिंग के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार/एफ.सी.आई. द्वारा जारी अनुदेश/दिशानिर्देश;
- (ii) लागत, प्रासंगिक व्ययों तथा अंतरीय दावों की प्रतिपूर्ति के लिए भारत सरकार के अनुदेश;
- (iii) राइस मिलर्ज के साथ पी.एज द्वारा किए गए मिलिंग अनुबंध; तथा
- (iv) खरीदे गए/मिल्ड धान तथा डिलीवर किए गए चावल आदि के रिटर्नज/स्टाक अकाउंट।

#### 2.2.5 लेखापरीक्षा परिणाम

##### 2.2.5.1 सी.एम.आर गतिविधि का परिचालनात्मक निष्पादन

राज्य सरकार ने के.एम.एस. 2010 - 11 से के.एम.एस. 2013 - 14 के लिए दोनों पी.एज के लिए अलग - अलग राज्य में खरीदे गए कुल धान के 10 प्रतिशत के तथा के.एम.एस. 2014 - 15 के लिए दोनों पी.एज के लिए अलग - अलग 11 प्रतिशत के लक्ष्य निर्धारित किए। 2010 - 15 की अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए राज्य में 158.22 लाख एम.टी. धान खरीदा गया। इसमें से, 23.61 लाख एम.टी. तथा 12.95 लाख एम.टी. धान क्रमशः हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (एच.ए.आई.सी.) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (एच.ए.डब्ल्यू.सी.)द्वारा खरीदा गया जैसाकि नीचे तालिकाबद्ध है:

के.एम.एस.	नियत लक्ष्य <sup>3</sup> (एम.टी. में)	खरीदा गया वास्तविक धान (एम.टी. में)		एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी (एम.टी. में)	एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा लक्ष्यों से प्रतिशतता	एच.ए.आई.सी. द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी
		एच.एस.डब्ल्यू.सी.	एच.ए.आई.सी.			
2010-11	248200	144943	293221	103257	42	शून्य
2011-12	293300	230880	385702	62420	21	शून्य
2012-13	384600	327572	598248	57028	15	शून्य
2013-14	357500	346435	588001	11065	3	शून्य
2014-15	328000	245247	496220	82753	25	शून्य
<b>कुल</b>	<b>1611600</b>	<b>1295077</b>	<b>2361392</b>	<b>316523</b>	<b>20</b>	

(स्रोत: कंपनी डाटा)।

धान परिचालनों का एजेंसीवार निष्पादन नीचे वर्णित है:

##### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- मार्च 2015 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान एच.ए.आई.सी. (कंपनी) ने क्रमशः 2.93 लाख एम.टी., 3.85 लाख एम.टी., 5.98 लाख एम.टी., 5.88 लाख एम.टी. तथा 4.96 लाख एम.टी. धान खरीदा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में खरीद की प्रतिशतता 118 से 164 के मध्य रही।

<sup>3</sup> दोनों पी.एज के लिए लक्ष्य समान हैं।

- कंपनी ने 2013-14 तक के अपने लेखाओं का अंतिमकरण किया। 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान, इसने क्रमशः ₹ 7.27 करोड़ तथा ₹ 8.15 करोड़ का शुद्ध लाभ सूचित किया जबकि 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान इसने ₹ 43.87 करोड़ तथा ₹ 44.64 करोड़ की हानि सूचित की। 2012-13 के दौरान हानि का मुख्य कारण खाद्यान्नों के स्टाक के धीमे परिसमापन के कारण ब्याज-लागत का ₹ 142.49 करोड़ से ₹ 230 करोड़ तक बढ़ जाना था जबकि 2013-14 के दौरान हानियों का मुख्य कारण गेहूं के स्टाक में क्षति थी। कंपनी ने अपनी खरीद गतिविधियों के लाभ/हानि को अलग से परिकलित नहीं किया, अतः धान परिचालनों की कार्यक्षमता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि इसके द्वारा अलग से कोई कैश क्रेडिट (सी.सी.) लिमिट प्राप्त नहीं की गई थी और इसलिए धान गतिविधियों के लिए प्राप्त सी.सी. पर ब्याज घटक को अलग करना मुश्किल हो गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. धान परिचालनों के लिए अलग लेखे का रख-रखाव कर रही थी तथा यही प्रक्रिया एच.ए.आई.सी. द्वारा भी अपनाई जा सकती थी।

### हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- 2010-15 के दौरान एच.एस.डब्ल्यू.सी. (निगम) ने 1.45 लाख एम.टी., 2.31 लाख एम.टी., 3.28 लाख एम.टी., 3.46 लाख एम.टी. तथा 2.45 लाख एम.टी. धान खरीदा। निगम ने 2014-15 तक पांचों वर्षों में राज्य सरकार द्वारा खरीद के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त नहीं किए थे तथा यह कमी 3 से 42 प्रतिशत के मध्य रही। चूंकि खरीदे गए धान की मात्रा में परिवर्तन होने के बावजूद स्थायी लागत वही रहती है, निगम को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि उसको आबंटित मंडियों में धान के कम/न पहुंचने के कारण खरीद लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उन मंडियों में भी जो इसके और एच.ए.आई.सी. के साथ बांटी हुई थी तथा खरीद के लिए आबंटित दिनों की संख्या भी समान होने के बावजूद निगम द्वारा प्राप्त धान एच.ए.आई.सी. से काफी कम था।

- निगम ने 2013-14 तक के अपने लेखाओं का अंतिमकरण किया। सिवाय 2012-13 के निगम ने 2010-14 के दौरान ₹ 20.35 करोड़ से ₹ 28.48 करोड़ के मध्य लाभ (वैधानिक लेखापरीक्षकों तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के प्रभाव को छोड़कर) सूचित किया। यदि लेखाओं पर टिप्पणियों के प्रभाव पर विचार किया जाता तो लाभ ₹ 16.38 करोड़ से ₹ 26.45 करोड़ के मध्य रहता। 2012-13 के दौरान निगम ने ₹ 138.51 करोड़ (टिप्पणियों को निकालकर) की हानि उठाई जो ₹ 146.84 करोड़ तक जा सकती थी यदि टिप्पणियों पर विचार किया जाता। निगम ने 2012-13 में धान खरीद प्रक्रियाओं में ₹ 27.32 करोड़ की हानि उठाई। हानि का मुख्य कारण सेवानिवृत्ति तथा लीव एनकैशमेंट के लिए बीमांकिक मूल्य-निर्धारण के अनुसार ₹ 171.65 करोड़ के प्रावधान करना था जो पहले तदर्थ आधार पर किए गए थे।

- निगम ने 2010-11 से 2013-14 के दौरान धन प्रक्रियाओं में ₹ 0.60 करोड़ से ₹ 27.32 करोड़ के मध्य हानि उठाई। निगम ने इस गतिविधि में लगातार हानि के लिए कारण विश्लेषित नहीं किए थे।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने उत्तर दिया कि सी.एम.आर. एक हानि उठाने वाली गतिविधि थी तथा अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होने तथा एफ.सी.आई. द्वारा 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' (एन.एस.सी.) के जारी करने के कारण मिलर्ज से होल्डिंग प्रभारों की अवसूली को इसका जिम्मेदार ठहराया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन.एस.सी. के जारी करने के मामले में यह प्रभार एफ.सी.आई. से वसूलनीय थे जिनका एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने दावा नहीं किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अभिरक्षा तथा रख-रखाव प्रभार के समर्थन में रिकार्ड प्रस्तुत न करने के कारण एफ.सी.आई. द्वारा यह मना किए गए थे।

### **एच.एस.डब्ल्यू.सी. में चालू खातों की बहुल्यता**

**2.2.5.2** 2010-15 के दौरान, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने हैड आफिस पर 12 से 13 चालू खाते तथा खाद्यान्नों की प्राप्ति के लिए खोले गए सी.सी.एल. अकाउंट के अतिरिक्त भी दो से तीन सी.सी.एल. अकाउंट रखे। इसने विभिन्न प्रकार के भुगतान करने के लिए सी.सी.एलज तथा एस.टी.एलज से चालू खातों में एकमुश्त फंड ट्रांसफर किए। लेखापरीक्षा के दौरान हमने अवलोकित किया कि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पास 2010-11 से 2014-15 के दौरान खोले गए पांच चालू खातों<sup>4</sup> में ₹ 0.15 लाख से ₹ 56.71 करोड़ के मध्य फंड रहे थे। सी.सी.एल./एस.टी.एल. अकाउंट के मामले में ब्याज उस तारीख से लगाया जाता है जिस तारीख को राशि निकाली जाती है तथा चालू खाते में पड़े हुए फंड कोई ब्याज नहीं कमाते। विवेकपूर्ण नकद प्रबंधन की मांग है कि भुगतान, सी.सी.एल. अकाउंट से किए जाने चाहिए। पुनः, चालू खातों में बड़ी रकम रखने की बजाए, एच.एस.डब्ल्यू.सी. को सी.सी.एल. की पूर्ति करनी चाहिए थी तथा इस प्रकार, 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 1.79 करोड़<sup>5</sup> के ब्याज के भुगतान को बचाया जा सकता था।

### **क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा बिक्री प्राप्तियों के प्रेषण में दरेरी**

**2.2.5.3** एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा गेहूं और चावल के प्रेषण के लिए, एफ.सी.आई. द्वारा संबंधित जिला प्रबंधक के चालू खाते में इलैक्ट्रोनिक तरीके से भुगतान जमा करवा दिए जाने थे, जो बाद में इन बिक्री प्राप्तियों को अपने हैड आफिस को प्रेषित करता था। ये प्रेषण उसी दिन हैड आफिस को भेज देने चाहिए ताकि ये कैश क्रेडिट लिमिट के शीघ्र भुगतान के लिए प्रयोग किए जा सकें। हैड आफिस ने इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों को कोई निर्देश जारी नहीं किए थे।

<sup>4</sup> भारतीय स्टेट बैंक, महाराष्ट्र बैंक, एक्सिस, एच.डी.एफ.सी. तथा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला।

<sup>5</sup> 2010-11 के लिए 7.75 प्रतिशत तथा बाकी वर्षों के लिए 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष (एस.टी.एल. की वर्तमान दर) की दर पर औसत मासिक शेष पर परिकलित।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. के तीन<sup>6</sup> चयनित किसान सेवा केन्द्रों (एफ.एस.सी.) द्वारा खाद्यान्नों की बिक्री प्राप्तियां इनके हैड आफिस को 3 से 56 दिनों की देरी से प्रेषित की गई थी। इनमें शामिल राशि ₹ 0.11 करोड़ से ₹ 14.16 करोड़ के मध्य रही। प्रेषण में देरी के परिणामस्वरूप ₹ 1.74 करोड़<sup>7</sup> के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। इसी प्रकार, एच.एस.डब्ल्यू.सी. के सर्कल आफिस, पानीपत के मामले में ₹ 0.14 करोड़ से ₹ 7.91 करोड़ के मध्य निधियां 3 से 48 दिनों की देरी से हैड आफिस को प्रेषित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निगम को ₹ 0.74 करोड़<sup>8</sup> के ब्याज की हानि हुई।

हैड आफिस को बिक्री प्राप्तियों के प्रेषण में विलंब को न्यूनतम अपेक्षित राशि रखने के बाद निधियों के दैनिक ट्रांसफर के लिए बैंकों को स्थाई आदेश देकर आसानी से बचाया जा सकता था।

#### 2.2.6 राइस मिलर्ज को धान का आबंटन

प्रत्येक राजस्व जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जिला मिलिंग कमेटी<sup>9</sup> (डी.एम.सी.) इसके द्वारा खरीदे जाने वाले धान के आधार पर प्रत्येक पी.ए. को मंडीवार राइस मिलर आबंटित करती है। एफ.एस.डी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार, पी.एज द्वारा प्रत्येक मिलर को इसकी मिलिंग क्षमता के अनुसार धान आबंटित करना अपेक्षित है ताकि राइस मिलरों द्वारा धान की मिलिंग समय पर की जा सके।

तथापि, पी.एज में दो वर्षों<sup>10</sup> (2013-14 तथा 2014-15) के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि राइस मिलर्ज को धान का आबंटन मानकों के अनुसार नहीं था जैसा कि नीचे वर्णित है:

#### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- कंपनी ने 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 75 तथा 47 प्रतिशत मामलों में मानकों के अनुसार मिलिंग के लिए धान आबंटित नहीं किया। 34 तथा 11 प्रतिशत मामलों में अधिक आबंटन तथा 41 तथा 36 प्रतिशत मामलों में कम आबंटन था।
- 2013-15 के दौरान मात्रा के हिसाब से मंडीवार अधिक तथा कम आबंटन क्रमशः 2 से 239 प्रतिशत तथा 1 से 86 प्रतिशत के मध्य रहा।

<sup>6</sup> करनाल, यमुनानगर तथा फतेहाबाद।

<sup>7</sup> ब्याज की उस दर पर परिकलित जिस पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए सी.सी.एल. लिमिट पर फंड प्राप्त किए गए थे।

<sup>8</sup> ब्याज की उस दर पर परिकलित जिस पर खाद्यान्नों की खरीद के लिए सी.सी.एल. लिमिट पर फंड प्राप्त किए गए थे।

<sup>9</sup> जिला मिलिंग कमेटी में संबंधित जिले के उपायुक्त चेयरमैन के रूप में तथा जिला खाद्य तथा आपूर्ति नियंत्रक, सदस्य सचिव के रूप में होते हैं। एफ.सी.आई. सहित खरीद एजेंसियों के जिला मुखिया तथा राइस मिलर्ज के दो चयनित व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं।

<sup>10</sup> पिछले वर्षों (2010-11 से 2012-13) का डाटा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

## हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

- निगम ने भी 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः 29 तथा 14 प्रतिशत मामलों में मापदण्डों के अनुसार धान आबंटित नहीं किया। 12 तथा 6 प्रतिशत मामलों में अधिक आबंटन तथा 17 तथा 8 प्रतिशत मामलों में कम आबंटन था।
- 2013-15 के दौरान मात्रा के हिसाब से मंडीवार अधिक तथा कम आबंटन क्रमशः 2 से 65 प्रतिशत तथा 1 से 68 प्रतिशत के मध्य रहा।

इस प्रकार, पी.एज ने मिलर्ज को धान के आबंटन के समय मापदण्डों को ध्यान में नहीं रखा। मिलर्ज को उनकी मिलिंग क्षमता से अधिक धान के आबंटन ने समय पर एफ.सी.आई. को चावल की देरी से/नान डिलीवरी के जोखिम को बढ़ा दिया। लेखापरीक्षा ने 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अवलोकित किया कि आठ मिलर्ज (एच.ए.आई.सी. के सात तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के एक), जिनको उनकी पात्रता (70 एम.टी. से 3,449 एम.टी. के मध्य) से ज्यादा धान आबंटित किया गया था, ने ₹ 28.47 करोड़ के (*पारिशिष्ट 5*) धान का गबन किया।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि धान मानकों के अनुसार आबंटित किया गया था लेकिन इसमें मिलिंग क्षमता की तुलना में विषमताएं हैं क्योंकि उन्होंने मिलिंग के लिए धान आबंटित करते समय आबंटित मंडियों से मिलर्ज की दूरी, मिलर्ज का पुराना ट्रैक रिकार्ड, मिल पर उपलब्ध सुविधाएं आदि कारणों को ध्यान में रखा। तथ्य रहता है कि मिलों को 239 प्रतिशत तक धान का अधिक आबंटन था।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि इसके अपने कार्य-कारी हितों को ध्यान में रखते हुए मिलिंग क्षमता की तुलना में धान आबंटन में विषमताएं थीं तथा भविष्य में कोशिश रहेगी कि धान के आबंटन में निर्देशों का सरक्ती से पालन हो।

### 2.2.7 मिलिंग अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों की अनुपालना

प्रत्येक वर्ष एफ.एस.डी. द्वारा जारी निर्देश तथा मिलर्ज के साथ किए गए मिलिंग अनुबंध निर्धारित करते हैं कि धान के विरुद्ध सभी चावल अगले वर्ष 31 मार्च तक डिलीवर कर दिए जाएं। अनुबंध यह भी निर्धारित करता है कि यदि मिलर चावल के टर्नआऊट अनुपात की पूरी मात्रा डिलीवर करने में असमर्थ है, तो वह भारत सरकार द्वारा निर्धारित सी.एम.आर. की दरों पर कम डिलीवर हुए चावल की लागत का भुगतान करने साथ ही कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) पैटर्न पर ब्याज सहित ऐसे कम डिलीवर किए गए चावल (केवल के.एम.एस. 2013-14 के लिए 10 प्रतिशत तक कम किया गया) के 50 प्रतिशत की दर पर पेनल्टी के लिए दायी है। प्रत्येक के.एम.एस. के आंभ होने से पहले राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के साथ यह प्रावधान किया गया कि धान के रिलीज आर्डर जारी करते समय मिलर्ज से ₹ 0.25 करोड़<sup>11</sup> प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) प्रति घंटा मिलिंग क्षमता के अनुसार पोस्ट डेटिड चैक (पी.डी.सी.ज) के रूप में गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए थी। धान के आबंटन के लिए किसी भी चूककर्ता राइस मिलर पर किसी

<sup>11</sup> के.एम.एस. 2012-13 के लिए ₹ 30 लाख तथा के.एम.एस. 2013-14 तथा आगे के लिए ₹ 50 लाख तक बढ़ाया गया।

भी परिस्थिति के अंतर्गत विचार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, धान के सुरक्षित संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए पाक्षिक आधार पर धान स्टाक्स का सामूहिक<sup>12</sup> भौतिक सत्यापन (पी.वी.) भी कराया जाना चाहिए था। पी.एज द्वारा मिलर्ज के साथ किए गए मिलिंग अनुबंध प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक मिलर संपूर्ण धान तथा चावल हेतु बीमा प्राप्त करेगा। यदि भारत सरकार द्वारा लगाए गए वैल्यू-कट के कारण कोई राशि वसूलनीय है तो वह मिलर्ज से वसूल की जानी चाहिए।

अभिलेखों की जांच ने दर्शाया:

#### **2.2.7.1 धान के गबन के कारण हानि**

के.एम.एस. 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए चावल की डिलीवरी के देय तिथि क्रमशः मार्च 2013 से जनवरी 2014, मार्च 2014 से सितंबर 2014 तथा मार्च 2015 से सितंबर 2015 तक बढ़ा दी गई थी। हमने देखा कि इन तीन के.एम.एस. के दौरान, 19 मिलर्ज<sup>13</sup> जिन्हें 8.45 लाख<sup>14</sup> क्विंटल धान आबटित किया गया था, 1.64 लाख<sup>15</sup> क्विंटल चावल (2.45 लाख क्विंटल देय धान के विरुद्ध) डिलीवर नहीं किया तथा इस प्रकार 30 सितंबर 2015 तक ₹ 52.06 करोड़<sup>16</sup> वसूलनीय थे जैसा कि परिशिष्ट 6 में वर्णित है। पी.एज ने 11 मिलर्ज, जिन्होंने चावल की डिलीवरी में चूक की थी, के धान के लिए गारंटी के रूप में रखे गए पोस्ट डेटिड चैक प्रस्तुत किए। चैक बाउंस हो गए तथा चावल के गबन के लिए इन मिलर्ज के खिलाफ प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई गई।

पी.एज की ओर से पाई गई चूक, जिन्होंने चावल की नॉन डिलीवरी को बढ़ावा दिया, इस प्रकार है:

- एच.ए.आई.सी. के मामले में, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी जबकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के मामले में, पी.वी. रिपोर्ट अपूर्ण थी।
- जिला मिलिंग कमेटी द्वारा आबटित न किए जाने के वाबजूद मिलर<sup>17</sup> को धान दिया गया था।
- कंपनी ने चूककर्ता मिलर्ज<sup>18</sup>, जिन्होंने भौतिक डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार आबटित धान से कोई चावल डिलीवर नहीं किया था, के परिसरों से धान की शिफटिंग की कार्रवाई नहीं की।

---

<sup>12</sup> पी.एज तथा मिलर।

<sup>13</sup> एच.ए.आई.सी. के 17 मिलर तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के दो मिलर।

<sup>14</sup> के.एम.एस. 2012-13 के लिए धान के 88,760 क्विंटल, के.एम.एस. 2013-14 के लिए 5,26,850 क्विंटल तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए 2,29,100 क्विंटल।

<sup>15</sup> के.एम.एस. 2012-13 के लिए ₹ 8.55 करोड़ की कीमत का 22,540 क्विंटल, के.एम.एस. 2013-14 के लिए ₹ 36.25 करोड़ का 97,410 क्विंटल तथा के.एम.एस. 2014-15 के लिए ₹ 10.74 करोड़ का 43,730 क्विंटल चावल।

<sup>16</sup> जनवरी 2014 से मार्च 2015 की अवधि के दौरान प्रचलित सी.सी.एल. दर के न्यूनतम 11.83 प्रतिशत की दर पर ब्याज जमा नॉन डिलीवरी के कारण चावल की कीमत की 50 प्रतिशत की फेनल्टी जमा चावल की कीमत।

<sup>17</sup> मैसर्ज बोध प्रकाश रोहित कुमार राइस मिल, अंबाला।

- अनुदेश का उल्लंघन करने के बावजूद पहले वाले के.एम.एस. के चूककर्ता मिलर्ज<sup>19</sup> को धान आबंटित किया गया।

इस प्रकार, राज्य सरकार के दिशानिर्देशों की अनुपालना न करने तथा धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में उचित गारंटी न लेने, मिलर्ज के परिसरों में स्टोर किए गए धान की खराब मानीटरिंग आदि ने धान के गबन को सुगम बनाया।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि एक मामले (2012-13) में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी थी तथा 10 मामलों (के.एम.एस. 2013-14) में राज्य सरकार की नीति (सितंबर 2015) को देखते हुए भुगतान प्राप्त किए जाने के लिए मार्च 2016 तक इंतजार किया जाना था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि के.एम.एस. 2013-14 हेतु उपर्युक्त नीति के लिए मिलर्ज को 30 सितंबर 2015 तक देय राशि का 25 प्रतिशत तक जमा कराना आवश्यक था तथा देय राशि के लिए अंडरटेकिंग के साथ-साथ पोस्ट डेटिड चैक भी देने थे जिसकी किसी भी मिलर द्वारा अनुपालना नहीं की गई थी।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि संबंधित मिलर्ज के पास भण्डार की कोई भौतिक कमी नहीं थी तथा एफ.सी.आई. द्वारा केवल डिलीवर किए गए चावल को नामंजूर किया गया था। इसके अतिरिक्त इसने चूककर्ता मिलर्ज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि एफ.सी.आई. को उचित औसत गुणवत्ता चावल प्रदान करना मिलर की जिम्मेदारी थी। एगिट काफ़ेंस के दौरान, एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने सूचित किया कि इसने एक मिलर से वसूलनीय ₹ 2.25 करोड़ में से ₹ 1.05 करोड़ वसूल कर लिए थे लेकिन इसके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए (नवंबर 2015)।

### **2.2.7.2 मिलर्ज से देयों की वसूली न होना**

भारत सरकार ने राज्य सरकार को वर्ष 2013-14 के लिए सी.एम.आर. की अस्थाई दरों को बताते समय (अप्रैल 2014) एफ.सी.आई. को डिलीवर किए गए चावल की लागत के एक प्रतिशत की दर पर मूल्य कटौती<sup>20</sup> लगाई। लगाई गई कटौती का मूल्य ₹ 22.54 प्रति किवंटल था जो मिलर्ज से वसूल किया जाना था।

हमने देखा कि भारत सरकार द्वारा लगाई गई मूल्य कटौती के परिणामस्वरूप उन्हें भुगतान योग्य मिलिंग प्रभारों तथा ड्राईएंज दोनों को समायोजित करने के बाद मिलर्ज से नेट राशि वसूलनीय बनती थी। यह देखा गया कि एच.ए.आई.सी. का एक एफ.एस.सी. (कुरुक्षेत्र) तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के दो जिला कार्यालय (कुरुक्षेत्र तथा अंबाला) सितंबर 2014 तक के.एम.एस. 2013-14 के पूरा होने के बावजूद चौदह मिलर्ज से ₹ 1.55 करोड़ (एच.ए.आई.सी.: ₹ 0.84 करोड़ तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी.: ₹ 0.71 करोड़) वसूल नहीं कर सके। हमने पुनः देखा कि के.एम.एस. 2013-14 से संबंधित ₹ 1.55 करोड़ के पहले वाले देयों को वसूल किए बिना के.एम.एस. 2014-15 के लिए इन पी.एज द्वारा उपर्युक्त चौदह मिलर्ज को मिलिंग के लिए धान दिया गया था।

<sup>18</sup> एच.ए.आई.सी. की जय मां शारदा मिल्ज, नारायणगढ़ तथा मैसर्ज मित्तल राइस एंड जनरल मिल।

<sup>19</sup> मैसर्ज दयाचन्द राइस मिल, जैंदा।

<sup>20</sup> यदि किसी कारण से भारत सरकार ने केंद्रीय भंडारण के अंतर्गत प्राप्त किए जाने वाले चावल की विशेषताएं कम कर दी तो यह कम की गई विशेषता के अनुसार सी.एम.आर. की कीमत में वैल्यू कट लगा सकती है, जो मिलरों से वसूल किया जाना था।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान एच.ए.आई.सी. ने बताया कि इस कारण से इसने ₹ 0.84 करोड़ की संपूर्ण राशि वसूल कर ली थी। तथापि वसूली को प्रभावित करने वाले दस्तावेज प्रतीक्षित थे (नवंबर 2015)। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि ₹ 0.71 करोड़ की वसूली के लिए प्रयत्न किए जा रहे थे।

### **2.2.7.3 धान की मिलिंग में देरी के कारण हानि**

के.एम.एस. 2008-09 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित अस्थाई प्रासंगिक व्ययों के साथ-साथ इनमें ₹ 19.58 प्रति किवंटल की दर पर दो महीने के लिए ब्याज प्रभार भी शामिल थे। दरों के अंतिमकरण के समय पर, भारत सरकार ने राज्य के सभी पी.एज के धान की वास्तविक भण्डारण अवधि को एक साथ लेकर उसके आधार पर ब्याज परिकलित किया।

हमने देखा कि के.एम.एस. 2008-09 तथा के.एम.एस. 2010-11 के दौरान, एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के धान की औसत भण्डारण अवधि सभी राज्य पी.एज की वास्तविक भारित औसत भण्डारण अवधि से अधिक<sup>21</sup> थी। इस प्रकार, धान की मिलिंग में देरी के कारण, पी.एज ने ₹ 0.93 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

दोनों पी.एज ने उत्तर दिया कि उन्होंने चावल की डिलीवरी में देरी के लिए मिलर्ज से धारण-प्रभार वसूल किए लेकिन उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए।

### **2.2.8 एफ.सी.आई. से वैधानिक तथा अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति**

प्रत्येक खरीफ मार्केटिंग सीजन (के.एम.एस.) के लिए भारत सरकार सी.एम.आर. की दरें निर्धारित करती है जिसमें धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तथा प्रासंगिक व्ययों की दरें भी शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित किए गए प्रासंगिक व्ययों में वैधानिक प्रभार (मार्किट फीस, आढ़तिया कमीशन तथा आर.डी. सैस) तथा अन्य प्रभार (ड्राईएज, संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभार, ब्याज प्रभार, बोरों की लागत तथा मूल्यहास) शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा प्रेषित सी.एम.आर. दरों में उल्लिखित कुछ शर्तों के अध्यधीन ये प्रभार प्रतिपूर्ति योग्य हैं। पी.एज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल वही व्यय किए जाएं जो भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य हैं तथा प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक शर्तों की अनुपालना की जानी चाहिए।

इस संबंध में देखी गई त्रुटियां नीचे चर्चित हैं:

#### **2.2.8.1 संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना**

के.एम.एस. 2012-13 तक के प्रासंगिक व्ययों में धान की मिलिंग तथा एफ.सी.आई. को डिलीवरी देने से पहले धान के स्टाक के अनुरक्षण तथा रख-रखाव की लागत के लिए दो महीने के संरक्षण तथा रख-रखाव प्रभार शामिल हैं। राज्य सरकार (खाद्य तथा आपूर्ति विभाग, नोडल एजेंसी) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, कि ये प्रभार वहन किए गए, की प्रस्तुति पर ही यह अनुमत थे।

<sup>21</sup> के.एम.एस. 2008-09 में, सभी राज्य पी.एल. की 2.59 महीने की औसत स्टोरेज अवधि के विरुद्ध एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पास क्रमशः 2.72 महीने तथा 3.01 महीने थी। के.एम.एस. 2010-11 में सभी राज्य पी.ए. के 2.74 महीने की औसत स्टोरेज अवधि के विरुद्ध एच.एस.डब्ल्यू.सी. की औसत स्टोरेज अवधि 3.03 महीने थी।

हमने अवलोकित किया कि पी.एज द्वारा प्राप्त धान मिलर्ज तथा पी.एज के सामूहिक संरक्षण के अंतर्गत सीधे ही मिलर्ज के परिसरों में स्टोर की गई थी। यद्यपि धान मिल मालिकों के परिसर में सामूहिक संरक्षण में रहा, पी.एज ने मिलर्ज को आपूरित क्रेटेस तथा तिरपाल की लागत पर मूल्यहास के रूप में व्यय किया। पी.एज ने इस संबंध में वास्तव में किए गए व्यय का एक अलग अकाउंट नहीं रखा। इस प्रकार, पी.एज आवश्यक प्रभाण - पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके तथा एफ.सी.आई. ने 2010 - 13 की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़<sup>22</sup> के उनके द्वारा किए गए दावों की प्रतिपूर्ति नहीं की। पुनः, एफ.सी.आई. ने आवश्यक दस्तावेजों को प्रदान न करने के कारण के.एम.एस. 2005 - 08 के लिए एच.एस.डब्ल्यू.सी. से ₹ 1.72 करोड़ के संरक्षण तथा रख - रखाव प्रभारों की भी कटौती की (जनवरी 2012)। के.एम.एस. 2009 - 10 के लिए संरक्षण तथा रख - रखाव प्रभारों की एफ.सी.आई. द्वारा प्रतिपूर्ति<sup>23</sup> नहीं की गई थी।

दोनों पी.एज ने संरक्षण तथा रख - रखाव प्रभारों के अलग रिकार्ड का रख - रखाव न करने के तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि एफ.सी.आई. की आवश्यकतानुसार भविष्य में अलग रिकार्ड रखा जाएगा।

### 2.2.8.2 धारण प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना

(i) पी.एज खरीद गतिविधियों के लिए बैंकों से कैश क्रेडिट लिमिट (सी.सी.एल.) प्राप्त करते हैं। एफ.सी.आई. मिलर्ज से चावल की प्राप्ति के बाद पी.एज को भुगतान जारी करती है। एफ.एस.डी. द्वारा जारी निर्देश यह प्रावधान करते हैं कि यदि मिल, अनुबंध में उल्लिखित शेड्यूल के अनुसार एफ.सी.आई. को चावल डिलीवर करने में विफल रहता है तो वह विद्यमान सी.सी.एल. दर पर परिकलित ब्याज के रूप विलंबित अवधि के लिए पी.एज को धारण प्रभारों के भुगतान के लिए दायी होगा। तथापि, मिलर को स्थान प्रदान करने में एफ.सी.आई. की विफलता के कारण डिलीवरी में देरी के मामले में ऐसे प्रभार मिलर्ज से वसूलनीय नहीं हैं। हमने देखा कि सी.एम.आर. के प्रासंगिक व्ययों की दरों को अंतिमकृत करते समय भारत सरकार, चावल की एफ.सी.आई. को डिलीवरी की तिथि तक पी.एज को ब्याज प्रभार अनुमत कर रही थी यद्यपि, पी.एज अपनी आपरेशनल हानियों को पूरा करने के लिए डिलीवरी की वास्तविक तिथि तथा डिलीवरी की शेड्यूल तिथि के अंतराल की अवधि के लिए मिलर्ज से धारण प्रभार<sup>24</sup> वसूल कर रहे थे। हमने अवलोकित किया कि जब भारत सरकार ने के.एम.एस. 2012 - 13 की डिलीवरी अवधि सितंबर 2013 से जनवरी 2014 तक बढ़ाने की अनुमति (जनवरी 2014) दे दी थी तो यह उसके लिए किसी लागत पर सहमति नहीं थी अर्थात् 30 सितंबर 2013 के बाद यह ब्याज प्रभार पी.एज को भुगतानयोग्य नहीं थे। इस प्रकार, मिलर्ज द्वारा चावल की डिलीवरी में देरी के कारण पी.एज द्वारा उठाई गई ब्याज की लागत मिलर्ज से वसूल की जानी चाहिए थी।

के.एम.एस. 2010 - 11 से 2013 - 14 के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मिलर्ज ने एफ.सी.आई. के 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' (एन.एस.सीज) प्रस्तुत किए। मिलर्ज द्वारा आपूरित एन.एस.सीज पर एफ.सी.आई. की कोई संदर्भ संरब्धा, तारीख आदि नहीं थी तथा ये मिलर्ज के

<sup>22</sup> धान की 19.81 लाख एम.टी., जिसके विरुद्ध सी.एम.आर. आपूरित किया था, के लिए ₹ 41.60 प्रति एम.टी. (के.एम.एस. 2010 - 11 से 2012 - 13 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार) की अनुमोदित दरों पर प्रस्तुत किए गए दावे।

<sup>23</sup> दोनों पी.एज से विवरण प्रतीक्षित हैं।

<sup>24</sup> शेड्यूल डिलीवरी तारीख तथा वास्तविक डिलीवरी तारीख की अंतराल अवधि के लिए मिलर्ज से पी.एज द्वारा प्रभारित ब्याज से संबंधित है।

लैटर पैड पर थे। तब भी पी.एज. ने एफ.सी.आई. से इन प्रमाण - पत्रों का सत्यापन नहीं करवाया। इस प्रकार, मिलर्ज ने एफ.सी.आई. गोदामों में स्थान की अनुपलब्धता के कारण प्रकट रूप से एफ.सी.आई. को देय तिथि पर चावल डिलीवर नहीं किया तथा पी.एज की निधियां ब्लॉक हो गईं और उन्होंने एन.एस.सी.ज की अवधि के लिए मिलर्ज से ₹ 8.64 करोड़ की ब्याज राशि के रूप में धारण - प्रभारों को वसूल नहीं किया।

दोनों पी.एज ने बताया कि एफ.सी.आई. से एन.एस.सी.ज को सत्यापित कराने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एन.एस.सी.ज, एफ.सी.आई. की किसी संदर्भ संख्या आदि के बिना मिलर्ज के लैटर पैड पर थे और इसीलिए खुद परखने योग्य नहीं थे।

पुनः, के.एम.एस. 2012 - 13 के लिए मिलर्ज से वसूलनीय धारण प्रभारों को परिकलित करते समय, हमने अवलोकित किया कि एच.एस.डब्ल्यू.सी. के पांच चयनित राजस्व जिलों में से, दो राजस्व जिलों<sup>25</sup> ने एफ.सी.आई. द्वारा जारी 'नो स्पेस सर्टिफिकेट' की अवधि में डिलीवरी शेड्यूल<sup>26</sup> में संचयित विस्तार दिया। मिलर्ज को इस अनुचित लाभ के परिणामस्वरूप जिला कार्यालय कैथल में ₹ 0.13 करोड़ तक धारण प्रभारों की कम वसूली हुई। अन्य राजस्व जिलों के संबंध विस्तृत सूचना प्रतीक्षित थी (नवंबर 2015)। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने मिलर्ज से पुनर्निरीक्षण तथा वसूली, यदि कोई हो, के लिए आश्वासन दिया।

(ii) के.एम.एस. 2012 - 13 के दौरान, निगम के अंबाला जिला कार्यालय ने 4,176.73 एम.टी. धान की मिलिंग के लिए मैसर्ज अकित ट्रेडर्ज राइस मिल, मुस्तफाबाद के साथ अनुबंध (अक्तूबर 2012) किया। मिलर को 30 सितंबर 2013 तक बढ़ाई गई अवधि तक एफ.सी.आई. को 2,798.41 एम.टी. चावल डिलीवर करना अपेक्षित था। मिलर ने 26 फरवरी 2013 तक 620 एम.टी. चावल आपूर्ति किया। फर्म के मालिक की फरवरी 2013 में मृत्यु हो गई। वैध उत्तराधिकारी ने शेष चावल की आपूर्ति करने का दायित्व लिया (जुलाई 2013) लेकिन निगम ने उससे पी.डी.सी.ज नहीं लिए। फर्म ने एफ.सी.आई. को चावल की संपूर्ण मात्रा की आपूर्ति तो की लेकिन अनुबंध में निर्धारित डिलीवरी शेड्यूल का पालन नहीं कर सकी तथा इस प्रकार उनसे ₹ 0.20 करोड़ के धारण प्रभार वसूलनीय थे। निगम ने ₹ सात लाख की गारंटी को वसूलनीय राशि के विरुद्ध समायोजित करने की बजाए नियुक्त कर दिया (सितंबर 2013)। इस प्रकार, किसी पी.डी.सी.ज / अन्य सिक्योरिटी के अभाव में ₹ 0.20 करोड़ के धारण प्रभार की वसूली नहीं की जा सकी।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि राइस मिलर के गारंटर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा संबंधित जिला प्रबंधक को चार्जशीट कर दिया गया है। तथापि तथ्य रहता है कि वसूली अभी की जानी है।

### **2.2.8.3 बिलिंग - कम - भुगतान एजेंटों को परिहार्य भुगतान**

एच.ए.आई.सी. ने उसको आबंटित प्रत्येक मंडी के लिए बिलिंग - कम - भुगतान एजेंट (बी.सी.पी.एज) नियुक्त किए। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2010 - 15 के दौरान 126 मंडियों में से 23 में बी.सी.पी.एज नियुक्त किए। उन्हें प्रति बैग के लिए 11 पैसे का कमीशन दिया गया

---

<sup>25</sup> कैथल तथा कुरुक्षेत्र।

<sup>26</sup> अक्तूबर तथा नवंबर 2012 - 20 प्रतिशत, दिसंबर 2012 - 25 प्रतिशत, जनवरी 2013 - 25 प्रतिशत, फरवरी 2013 - 15 प्रतिशत तथा मार्च 2013 - 15 प्रतिशत।

था। बी.सी.पी.एज का कार्य सभी आढ़तियों<sup>27</sup> से बिलों को एकत्र करना था तथा प्रत्येक दिन का एक बिल तैयार करना और उसे भुगतान के लिए संबंधित पी.एज को प्रस्तुत करना था। बी.सी.पी.एज को दिए गए कमीशन की भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं होनी थी। हमने अवलोकित किया कि पी.एज ने आढ़तियों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए जिसमें बी.सी.पी.एज द्वारा किए जाने वाले कार्य निहित थे, कमीशन आधार पर नियुक्त किया था। 2010 - 15 के दौरान, दो पी.एज ने पांच चयनित जिलों में बी.सी.पी.एज को ₹ 0.71 करोड़ का भुगतान किया।

दोनों पी.एज ने बताया कि स्टाफ की कमी के कारण गिनी - चुनी मंडियों में बी.सी.पी.एज नियुक्त किए गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हमने अवलोकित किया कि मंडियों में स्टाफ की तैनाती बी.सी.पी.एज की तैनाती को ध्यान में रखे बिना की गई थी। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने पुनः बताया कि बी.सी.पी.एज बोरियों को भरने, प्लेटफार्म स्केल पर उनका भार तोलने तथा ट्रकों में लोडिंग सहित विविध कार्य कर रहे थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये आढ़तियों के काम थे और इसके लिए अन्य एजेंसी को नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं थी।

#### **2.2.8.4 एफ.सी.आई से भुगतानों की प्राप्ति न होने के कारण हानि**

एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी., एस.बी.आई. द्वारा संस्वीकृत सी.सी.एल. का उपयोग करके खाद्यान्नों को प्राप्त करती है तथा 2013 - 15 के दौरान ब्याज की प्रचलित दर 11.79 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। भुगतानों की विलंबित प्राप्ति इन लिमिटों की पुनर्भुगतान अवधि को बढ़ाती है तथा इसके परिणामस्वरूप कंपनी / निगम को ब्याज की हानि उठानी पड़ती है।

रबी मार्केटिंग सीजन 2013 तथा 2014 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रसारित प्रासंगिक व्यय की दरों के अनुसार, एजेंसी स्टोरेज बिंदु से एफ.सी.आई. तक डिलीवर स्टाक के लिए एफ.सी.आई. द्वारा अलग डिलीवरी प्रभार देय थे। ये डिलीवरी प्रभार, एफ.सी.आई. को स्टाक की डिलीवरी करते समय डिस्ट्रॉक्टिंग, लोडिंग तथा वेमेंट पर किए गए व्यय सहित एजेंसियों द्वारा उनके गोदामों पर स्टाक की स्टैकिंग और अनलोडिंग पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एच.ए.आई.सी. के चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जून 2013 से मार्च 2015 तक एफ.सी.आई. को स्टोरेज बिंदु से डिलीवर किए गए 11.87 लाख किवंटल गेहूं<sup>28</sup> (फसल वर्ष 2013 - 14 तथा 2014 - 15) के लिए एफ.सी.आई. से ₹ 0.68 करोड़<sup>29</sup> राशि के डिलीवरी प्रभार वसूलनीय थे। इसी प्रकार, मई 2013 से मार्च 2015 के दौरान डिलीवर किए गए 11.03 लाख किवंटल गेहूं (फसल वर्ष 2013 - 14 तथा 2014 - 15) के कारण एफ.सी.आई. से एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चयनित कार्यालयों द्वारा ₹ 0.63 करोड़<sup>30</sup> वसूल किए जाने थे। इन डिलीवरी प्रभारों की अवसूली के परिणामस्वरूप एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. को

<sup>27</sup> आढ़ती - मंडी में एक मध्यस्थ।

<sup>28</sup> फसल वर्ष 2013 - 14 (फतेहाबाद - 3.31 लाख किवंटल तथा करनाल - 6.33 लाख किवंटल) तथा 2014 - 15 (फतेहाबाद - 0.69 लाख किवंटल तथा करनाल - 1.54 लाख किवंटल)।

<sup>29</sup> एफ.एस.सी.जे - फतेहाबाद (₹ 0.23 करोड़) तथा करनाल (₹ 0.45 करोड़)।

<sup>30</sup> सर्कल कार्यालय - रोहतक (₹ 0.63 करोड़)।

मार्च 2015 तक क्रमशः ₹ 8.68 लाख<sup>31</sup> तथा ₹ 7.33 लाख<sup>32</sup> की राशि के ब्याज की हानि हुई। जिला प्रबंधक, एच.एस.डब्ल्यू.सी., रोहतक ने इन डिलीवरी प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए एफ.सी.आई. के साथ-साथ अपने मुख्यालय के साथ जुलाई 2014 में इस मामले को उठाया लेकिन अभी तक (मार्च 2015) आगे कोई प्रगति नहीं हुई है।

#### **2.2.8.5 एफ.सी.आई. को गारंटी फीस के दावे की प्रस्तुति में देरी के कारण ब्याज की हानि**

पी.एज ने धान की खरीद के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी, जिस पर राज्य सरकार लिए गए कैश क्रेडिट के 1/8 प्रतिशत की दर पर गारंटी फीस वसूल करती है, पर भारतीय स्टेट बैंक से लिमिट प्राप्त की। भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार गारंटी फीस, एफ.सी.आई. को डिलीवर किए गए चावल की मात्रा पर, एम.एस.पी. के 1/8 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक वास्तविक आधार पर देय थी। दावे, फसल वर्ष/वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद तुरंत किए जाने थे।

हमने अवलोकित किया कि:

- 1) एच.ए.आई.सी. ने अप्रैल 2010 में राज्य सरकार को 2004-05 से 2009-10 तक के धान के लिए ₹ 0.62 करोड़ की गारंटी फीस का भुगतान किया। तथापि, इसने अप्रैल 2013 में विलंब से दावा प्रस्तुत किया तथा यह दिसंबर 2013 में एफ.सी.आई. द्वारा मुक्त कर दिया गया था। इसी प्रकार, के.एम.एस. 2010-11 तथा 2011-12 के लिए कंपनी ने ₹ 0.23 करोड़ की गारंटी फीस का भुगतान किया (फरवरी 2012) लेकिन अगस्त 2014 में दावा प्रस्तुत किया। इस प्रकार, बिलों के विलंबित प्रस्तुतिकरण के कारण कंपनी ने ₹ 0.24 करोड़ (2004-05 से 2009-10 के लिए ₹ 18.66 लाख<sup>33</sup> तथा 2010-11 और 2011-12 के लिए ₹ 4.90 लाख<sup>34</sup>) की ब्याज हानि उठाई।
- 2) एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने के.एम.एस. 2010-11 तथा 2011-12 के धान के लिए ₹ 0.56 करोड़ की गारंटी फीस जमा (मार्च 2013) की लेकिन दिसंबर 2014 में एफ.सी.आई. को ₹ 0.43 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.11 लाख<sup>35</sup> के ब्याज की हानि हुई।

दोनों पी.एज ने बताया कि देरी का कारण एफ.सी.आई. द्वारा उनके जिला कार्यालयों को समय पर बिक्री प्रमाण-पत्र जारी न करना था तथा सूचित किया कि जिला प्रबंधकों को सीजन की समाप्ति के तुरंत बाद एफ.सी.आई. से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सलाह दे दी गई थी।

<sup>31</sup> एफ.एस.सी.जे फतेहाबाद (₹ 4.30 लाख) तथा करनाल (₹ 4.38 लाख)।

<sup>32</sup> सर्कल कार्यालय-रोहतक (₹ 7.33 लाख)।

<sup>33</sup> 35 महीनों के लिए 10.30 प्रतिशत की दर पर ₹ 62.13 लाख पर परिकलित।

<sup>34</sup> 22 महीनों के लिए 11.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 22.69 लाख पर।

<sup>35</sup> 21 महीनों के लिए 10.79 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 42.93 लाख पर।

### **2.2.8.6 एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों की प्रस्तुति में देरी के कारण ब्याज की हानि**

एफ.एस.डी. द्वारा प्रतिवर्ष जारी दिशानिर्देश अनुबंध करते हैं कि मिलर को धान की मिलिंग के लिए संबंधित पी.एज के साथ एक अनुबंध का निष्पादन करना होता है। अनुबंध के अनुसार एफ.सी.आई. से भुगतान के दावे के लिए चावल की डिलीवरी के तुरंत बाद पी.एज को डिलीवरी दस्तावेजों की आपूर्ति करना मिलर्ज की जिम्मेदारी थी, जिसमें विफल रहने पर मिलर, विलंबित अवधि के लिए ब्याज की सी.सी.एल. दर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

हमने अवलोकित किया कि पी.एज के चयनित जिलों में मिलर द्वारा डिलीवरी दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण 2013 - 14 तथा 2014 - 15 के दौरान एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों के प्रस्तुतिकरण में 2 दिनों से लेकर 71 दिनों तक की देरी हुई थी। इसके परिणामस्वरूप प्रचलित सी.सी.एल. दरों के न्यूनतम - आधार पर ₹ 0.44 करोड़ (12 दिनों का समय देने के बाद संकुचित परिकलन) के ब्याज की हानि हुई।

दोनों पी.एज ने बताया कि देरी एफ.सी.आई. की ओर से थी तथा उसने डिस्पैच दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने में समय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा सह देरी, एफ.सी.आई. द्वारा दस्तावेजों को हस्ताक्षर करने तथा एफ.सी.आई. को बिक्री बिलों के इसके प्रस्तुतिकरण की तिथि से परिकलित की गई थी।

### **2.2.8.7 एफ.सी.आई. को ड्राईएज बिलों के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण ब्याज की हानि**

प्रत्येक के.एम.एस. के शुरू होने से पहले भारत सरकार सी.एम.आर. की अस्थाई दरें निर्धारित करती है जिसमें धान के एम.एस.पी. तथा प्रासांगिक व्यय की दरें भी शामिल होती हैं। प्रासांगिक व्यय में धान के एम.एस.पी. के एक प्रतिशत का ड्राईएज<sup>36</sup> भी शामिल होता है। ड्राईएज राशि पी.एज द्वारा मिलर्ज को भुगतान की जाती है तथा बाद में भारत सरकार द्वारा प्रतिपूरित की जाती है। भारत सरकार के निर्देशों (अस्त्रात 2013) के अनुसार ड्राईएज का भुगतान तभी अनुमत किया जाएगा जब राज्य सरकार के प्रधान सचिव एक प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करें जिसमें मिलर्ज को राज्य एजेसियों द्वारा भुगतान किए गए इन प्रभारों का उल्लेख हो।

हमने अवलोकित किया कि चयनित पांच एफ.एस.सीज (एच.ए.आई.सी.) तथा एक राजस्व जिला कार्यालय (एच.एस.डब्ल्यू.सी.) में के.एम.एस. 2012 - 13 के लिए मिलर्ज को ड्राईएज प्रभारों के रूप में ₹ 7.81 करोड़ का भुगतान किया गया था। प्रधान सचिव ने के.एम.एस. 2012 - 13 के लिए अप्रैल 2014 में अपेक्षित प्रमाण - पत्र जारी किया। यह देखा गया था तीन एफ.एस.सीज<sup>37</sup> ने 9 से 12 महीनों की देरी से जनवरी तथा मार्च 2015 में एफ.सी.आई. को के.एम.एस. 2012 - 13 के लिए ड्राईएज बिल प्रस्तुत किए। दो एफ.एस.सीज<sup>38</sup> के लिए ड्राईएज बिल अभी तक (फरवरी 2015) प्रस्तुत नहीं किए थे। एच.एस.डब्ल्यू.सी. के राजस्व जिला (अंबाला) ने 11 महीनों की देरी से फरवरी 2015 में ड्राईएज बिल प्रस्तुत किया। इस प्रकार, एफ.सी.आई. को अपेक्षित

<sup>36</sup> ड्राईएज से तात्पर्य धान की नमी की मात्रा में कमी के कारण भार में कमी होना है।

<sup>37</sup> यमुनानगर, करनाल तथा फतेहाबाद।

<sup>38</sup> कैथल तथा कुरुक्षेत्र।

प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतिकरण में देरी के कारण पी.एज ने ₹ 0.63 करोड़<sup>39</sup> के ब्याज की हानि उठाई।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने बताया कि प्रधान सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रति की प्राप्ति में देरी तथा तत्पश्चात प्रथम दृष्टया गलत बिल के प्रस्तुतिकरण के कारण यह देरी हुई थी तथा इरादतन कोई देरी नहीं की गई थी। तथापि, तथ्य रहता है कि एक जिला कार्यालय में परिहार्य देरी के कारण एच.एस.डब्ल्यू.सी. को ब्याज की हानि उठानी पड़ी।

### 2.2.9 मानवशक्ति

किसी संगठन की कुशल तथा सुचारू कार्यप्रणाली के लिए उपयुक्त योग्यता का पर्याप्त स्टाफ अपेक्षित होता है। सितंबर 2015 तक एच.ए.आई.सी. तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के संबंध में विस्तृत स्टाफ स्थिति नीचे तालिकाबद्ध है:

#### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	31.09.2015 को तैनाती	कमी की प्रतिशतता
श्रेणी - ए	7	3	57
श्रेणी - बी	26	7	73
श्रेणी - सी	120	21	82
श्रेणी - डी	35	75	(+) 114
<b>कुल</b>	<b>188</b>	<b>106</b>	

हमने अवलोकित किया कि श्रेणी ए में 2004 से रिक्त पड़ा मुख्य लेखा अधिकारी (सी.ए.ओ.) का एक पद तथा उप-महाप्रबंधक (डी.जी.एम.) के क्रमशः 2009 तथा 2012 से रिक्त पड़े दो पद शामिल हैं। पुनः, श्रेणी बी में रिक्त 19 पदों में डी.एमज (संस्वीकृत 15 में से) के 14 पद शामिल हैं जो पदस्थों की रिटायरमेंट पर रिक्त हुए। सी.ए.ओ., डी.जी.एमज तथा डी.एमज की अनुपस्थिति में खाद्यान्नों की खरीद तथा स्टोरेज से संबंधित मुख्यालय तथा फील्ड में जिला कार्यालयों का कार्य, कनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा देखा जा रहा था। अधिक वित्तीय जोखिम वाला उच्च जिम्मेदारी का काम कनिष्ठ अधिकारियों से करवाना खतरे से खाली नहीं था।

#### हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

श्रेणी	संस्वीकृत संख्या	30.09.2015 को तैनाती	कमी की प्रतिशतता
श्रेणी - ए	10	6	40
श्रेणी - बी	21	15	29
श्रेणी - सी	707	430	39

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है श्रेणी-‘ए’ के 4 पद, श्रेणी-‘बी’ के 6 पद तथा श्रेणी-‘सी’ के 277 पद रिक्त थे। श्रेणी-‘ए’ तथा ‘बी’ में मुख्य रिक्तियां प्रबंधकों, डी.एमज तथा एस.डी.ई. (सी) के पदों की थी। हमने अवलोकित किया कि प्रबंधकों, तकनीकी सहायकों (टी.एज), कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (जे.टी.एज) तथा अकाउंटिंग स्टाफ के पदों की अनुपस्थिति में खाद्यान्नों की खरीद और भण्डारण तथा उनके लेखांकन से संबंधित फील्ड में सर्कल कार्यालयों का कार्य कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा था।

<sup>39</sup>

9 महीनों के लिए 10.74 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ₹ 7.81 करोड़ पर परिकलित।

दोनों पी.एज ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया कि रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

## 2.2.10 आंतरिक नियंत्रण

### 2.2.10.1 आंतरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण एक प्रबंधन साधन है जिसका प्रयोग यह समुचित आश्वासन देने हेतु किया जाता है कि प्रबंधन के उद्देश्य कुशल, प्रभावी तथा सुव्यवस्थित ढंग से प्राप्त किए जा रहे हैं। पी.एज द्वारा अपनाई गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा ने दर्शाया कि वे अपर्याप्त थे तथा अन्यत्र एवं निम्नलिखित इंगित की गई कमियों के अनुसार अपने परिचालनों के आकार के अनुरूप नहीं थीं:

#### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

- कंपनी के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/जिम्मेदारियों को स्पष्ट तौर पर निर्धारित करने के लिए कोई लेखा मैनुअल नहीं था।
- कंपनी ने सी.एम.आर. पर राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में, मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षा में रखे गए धन के भण्डार तथा परिणामस्वरूप निकले चावल का अनिवार्य पाक्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया। स्टॉक के भौतिक सत्यापन न किए जाने के परिणामस्वरूप धन के गबन के मामले हुए।
- एफ.सी.आई. से देयों की समय पर दावा करने की प्रणाली में कमी थी।
- **चावल का गबन**

जींद स्थित एच.ए.आई.सी. के गोदाम को वार्षिक आधार पर एफ.सी.आई. को किराए पर दिया गया था। स्टॉक के भण्डारण, संरक्षण तथा अभिरक्षा की जिम्मेदारी एच.ए.आई.सी. स्टाफ की थी तथा भण्डार के खराब होने या असामान्य भण्डारण हानियों के कारण हुई कमी के मामले में एफ.सी.आई. द्वारा इसे एच.ए.आई.सी. से वसूल किया जाना था। के.एम.एस. 2010-11 के स्टॉक की डिलीवरी के समय मई 2013 में ₹ 0.41 करोड़ की कीमत की सी.एम.आर. के 1,595 किंवटल की कमी देखी गई थी। एफ.सी.आई. ने इसे नवंबर 2013 में किराया बिलों से वसूल किया। चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध सितंबर 2013 में एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी तथा विभागीय कार्यवाहियां अभी तक (नवंबर 2015) लंबित थीं।

- **बोरियों का गबन**

एच.ए.आई.सी. में मौजूदा प्रचलन के अनुसार, धन/सी.एम.आर. की पैकिंग के लिए जरूरत के आधार पर मंडी इंचार्ज को स्टोरकीपर द्वारा बोरियां जारी की गई थीं तथा इन बोरियों का भौतिक सत्यापन वार्षिक आधार पर 31 मार्च को किया जाना था।

हमने देखा कि वर्ष 2012-13 के लिए, मार्च 2013 में पीपली गोदाम पर भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था तथा यह विलंब से दिसंबर 2013 में की गई थी जब 5.65 लाख बोरियों की

कमी पाई गई। जनवरी 2014 में एच.ए.आई.सी. मुख्यालय द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसने ₹ 3.02 करोड़ कीमत की 7.18 लाख जूट बोरियों की कमी सूचित (मई 2014) की। यद्यपि कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेखापरीक्षा ने मानीटरिंग तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में पद्धतिक कमियां अवलोकित की।

उपर्युक्त बताई गई कमियों ने कंपनी के विभिन्न कार्यों की सही मानीटरिंग तथा निरीक्षण को प्रभावित किया तथा यह इसकी कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में रूपांतरित हो गई।

एच.ए.आई.सी. ने बताया कि आंतरिक नियंत्रण बिजनेस के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है परंतु मिलर्ज को धान के आबंटन में असंगति, समयबद्ध अंतराल पर भौतिक सत्यापन के न किए जाने के कारण धान का गबन, एफ.सी.आई./मिलर्ज के दावे को देरी से प्रस्तुत न करना आदि जैसे उपर्युक्त बिंदु इसका विपरीत दर्शाते हैं।

### हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

निगम के पास प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर कर्तव्यों/जिम्मेदारियों के निर्धारण के लिए कोई अकाउंटस मैनुअल नहीं है। एफ.सी.आई. को बिलों के प्रस्तुतिकरण तथा उसके भुगतानों की प्राप्ति में देरी, आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं का निगम के आकार तथा गतिविधियों के अनुरूप नहीं होना दर्शाते हैं।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने सूचित किया कि इसने अपनी गतिविधियों के लिए अकाउंटस मैनुअल तैयार करने का निर्णय ले लिया था।

#### 2.2.10.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

कंपनी ने एक आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल को अपना लिया (मार्च 2014)। क्षेत्रीय यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा चार्टर्ड अकाउटेंट (सी.एज) की एक फर्म द्वारा करवाई गई थी जिसने किन्हीं पद्धतिक चूकों/कमियों को इंगित नहीं किया तथा मुख्यतः कैश, बैंक तथा जरनल वाउचरों में कमियों, स्टाक आइटमों में असंगति तथा स्टोर रजिस्टरों आदि के गलत रख-रखाव तक ही सीमित रही। कंपनी ने जोखिम कारकों पर आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु एकशन प्लान तैयार करने के लिए कोई प्रणाली निर्धारित नहीं की।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान कंपनी ने बताया कि कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे।

### हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

सितंबर 2013 में एक आंतरिक लेखापरीक्षा सैल बनाया गया था। निगम ने न तो कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मैनुअल तैयार किए थे और न ही आंतरिक लेखापरीक्षा में किए जाने वाली जांच का क्षेत्र तथा सीमा निर्धारित की थी। मुख्यालय, जहां पर अधिकांश व्यय/निर्णय लिए गए थे, की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। वर्ष 2013-14 के दौरान नौ सर्कल कार्यालयों में से केवल तीन सर्कल कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई थी तथा 2014-15 के दौरान किसी यूनिट

की लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट मुख्यतः नकद, स्टोरेज बिलों, लेखा - बहियों के रख - रखाव जैसे क्षेत्रों तक सीमित थी तथा कोई पद्धतिक कमियां रिपोर्ट नहीं की गई थीं।

एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि इसने आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी थी।

### 2.2.10.3 अन्य मामले - किसानों को भुगतान

पी.एज को एफ.एस.डी. द्वारा प्रतिवर्ष जारी निर्देशों के अनुसार 48 से 72 घंटों के अंदर धान की खरीद के लिए किसानों को भुगतान किए जाने थे। हमने अवलोकित किया कि पी.एज के पास 2010 - 11 से 2014 - 15 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक किसान से खरीदी गई मात्रा के विवरण तथा उनको किए गए भुगतानों के विवरण नहीं थे। जिला कार्यालयों ने बी.सी.पी.एज / आढ़तियों पर प्रत्येक किसान को किए गए भुगतान का विवरण देने का दबाव बनाए बिना ही केवल उन्हें किए गए भुगतान के संबंध में ही रिकार्ड भेंटेन किया। पुनः, एच.ए.आई.सी. के तीन<sup>40</sup> एफ.एस.सी.ज तथा एच.एस.डब्ल्यू.सी. के चार<sup>41</sup> चयनित जिलों में हमने अवलोकित किया कि के.एम.एस. 2010 - 11 से 2014 - 15 के दौरान धान की खरीद की तिथि से 1 से 48 दिनों<sup>42</sup> के भीतर बी.सी.पी.ए./कच्चा आढ़तियों को भुगतान किए गए थे। इस प्रकार, पी.एज यह सुनिश्चित करने में विफल रहे कि सभी मामलों में किसानों को भुगतान निर्धारित अवधि के भीतर कर दिए गए थे।

एच.ए.आई.सी. ने अपने उत्तर में बताया कि खरीद दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद ही बी.सी.पी.एज / आढ़तियों को भुगतान किए गए थे। एच.एस.डब्ल्यू.सी. ने अपने उत्तर में बताया कि उसने विलंबित भुगतान के संबंध में किसी किसान से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की थी। उत्तर गलत है क्योंकि एच.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेख इंगित करते हैं कि आढ़तियों को भुगतान, धान की खरीद की तिथि से 1 से 17 दिनों के भीतर किए गए थे तथा यह तथ्य रहता है कि किसानों को भुगतान करने में देरी थी।

### निष्कर्ष

एच.एस.डब्ल्यू.सी. 2010 - 11 से 2014 - 15 के दौरान किसी भी वर्ष में धान की खरीद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। एच.ए.आई.सी. ने धान की खरीद गतिविधियों के लाभ/हानि का अलग से परिकलन नहीं किया। दोनों पी.एज में धान के आबंटन में राज्य सरकार के निर्देशों से विचलन के मामले देखे गए थे। राज्य सरकार के निर्देशों की अननुपालना तथा धान की मिलिंग के लिए एफ.डी.आर./बैंक गारंटी के रूप में सही गारंटी प्राप्त न करना, एच.ए.आई.सी. में मिलर्ज के पास संयुक्त अभिरक्षण में रखे धान तथा परिणामी उत्पन्न चावल का अनिवार्य पाक्षिक भौतिक सत्यापन न करना, आदि ने धान के गबन को सुगम बनाया। एफ.सी.आई. ने धान के संरक्षण तथा रख - रखाव की प्रतिपूर्ति नहीं की क्योंकि ये बिल अनिवार्य दस्तावेजों से समर्थित नहीं थे। एच.ए.आई.सी. ने के.एम.एस. 2004 - 05 से के.एम.एस. 2011 - 12 के लिए गारंटी फीस

<sup>40</sup> कैथल, करनाल तथा यमुनानगर।

<sup>41</sup> फतेहबाद, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा यमुनानगर।

<sup>42</sup> एच.एस.डब्ल्यू.सी. के संबंध में 1 से 17 दिन तथा एच.ए.आई.सी. के संबंध में 1 से 48 दिन।

तथा के.एम.एस. 2012 - 13 के लिए ड्राईएज के दावे एफ.सी.आई. को समय पर प्रस्तुत नहीं किए जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई। दोनों पी.एज के आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक लेखापरीक्षा में कमियां थीं।

### सिफारिशें

राज्य सरकार निम्नलिखित पर विचार कर सकती है:

- i. एच.एस.डब्ल्यू.सी. को धान की खरीद के लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश देना क्योंकि स्थाई लागत खरीद की किसी भी मात्रा के बावजूद स्थिर रहती है तथा मिलिंग के लिए धान के आवंटन तथा इसकी आगे मानीटरिंग हेतु राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना करना;
- ii. एच.ए.आई.सी. को इसकी विभिन्न गतिविधियों की कार्यकुशलता का अलग से परिकलन करने के निर्देश देना;
- iii. अपने निर्देशों का संशोधन करना तथा पी.एज के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए मुख्यतः बी.जी. या एफ.डी.आर. के रूप में मिलर्ज से गारंटी तथा सुरक्षा की राशि को बढ़ाना;
- iv. एच.ए.आई.सी. को अनिवार्य भौतिक सत्यापन करने तथा इसे नियमित रूप से करने के लिए तुरंत निर्देश जारी करना; तथा
- v. पी.एज को उनके आर्थिक प्रबंधन को सरल करने तथा एफ.सी.आई. और मिलर्ज से उनके देयों का समय पर दावा करने के निर्देश देना।